अध्याय II

अध्याय II

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

झारखण्ड में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1.1 परिचय

भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) को एक प्रमुख योजना के रूप में शुरू (अगस्त 2019) किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर को निर्धारित गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना था। जेजेएम का लक्ष्य 2024 तक कार्यशील घरेलू नल संयोजन (एफएचटीसी) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर को पाईप से पानी की आपूर्ति प्रदान करना था। एक एफएचटीसी में तीन निश्चित विशेषताएं होनी चाहिए थी: (i) पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना, यानी कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) (ii) निर्धारित गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराना, यानी बीआईएस: 10500 मानक[1] और (iii) लम्बे समय तक नियमित आधार पर पानी की आपूर्ति करना।

झारखण्ड में जेजेएम के तहत विभिन्न मॉडल[2] अपनाए गए, एक गाँव के भीतर पानी की आपूर्ति के लिए भूजल आधारित एकल ग्राम योजना (एसवीएस), और एक से अधिक गाँवों को पानी की आपूर्ति के लिए सतही जल आधारित बहु ग्राम योजना (एमवीएस)।

जेजेएम के तहत प्राप्त प्रगति और प्रगतिशील कार्यों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने (केंद्रीय बजट भाषण 2025-26 में) जेजेएम को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की। भारत सरकार ने तदनुसार राज्यों को सूचित किया (जून 2025) कि बजट परिव्यय और संशोधित दिशानिर्देशों की मंजूरी के बाद केंद्रीय अनुदान विमुक्त किए जाएंगे, और उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने संसाधनों से प्रगतिशील योजनाओं पर काम जारी रखें।

झारखण्ड सरकार ने 2025-26 में जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए ₹2,503.43 करोड़ (केंद्र सरकार का हिस्सा: ₹895.99 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा: ₹1,607.44 करोड़) का बजट प्रावधान किया था। हालांकि, 2025-26 के दौरान जुलाई 2025 तक, न तो भारत सरकार और न ही राज्य सरकार द्वारा जेजेएम के तहत कोई राशि विमुक्त की गई।

2.1.2 संगठनात्मक व्यवस्था

झारखण्ड में जेजेएम के समग्र कार्यान्वयन के लिए झारखण्ड के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) जिम्मेदार था। राज्य

---

1 आईएस 10500:2012 'भारतीय मानक - पेयजल विनिर्देश', समय-समय पर यथा संशोधित।

2 सौर ऊर्जा आधारित योजनाएं जिनमें 2,000 लीटर से 16,000 लीटर की भंडारण क्षमता वाले प्लास्टिक या कंक्रीट के ओवरहेड पानी की टंकी शामिल हैं।

में जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग पेयजल और स्वच्छता विभाग (विभाग) था, जिसकी अध्यक्षता प्रधान सचिव/सचिव करते थे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) ने जेजेएम के लिए नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान किया। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम), ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां (वीडब्ल्यूएससी), कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) और पेयजल एवं स्वच्छता (डीडब्ल्यूएस) प्रमंडलों ने क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर जेजेएम की योजना बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी में एसडब्ल्यूएसएम का सहयोग किया। जेजेएम की संगठनात्मक संरचना और संस्थागत तंत्र/व्यवस्था को **चार्ट 2.1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1.1: झारखण्ड में जेजेएम की संस्थागत व्यवस्था

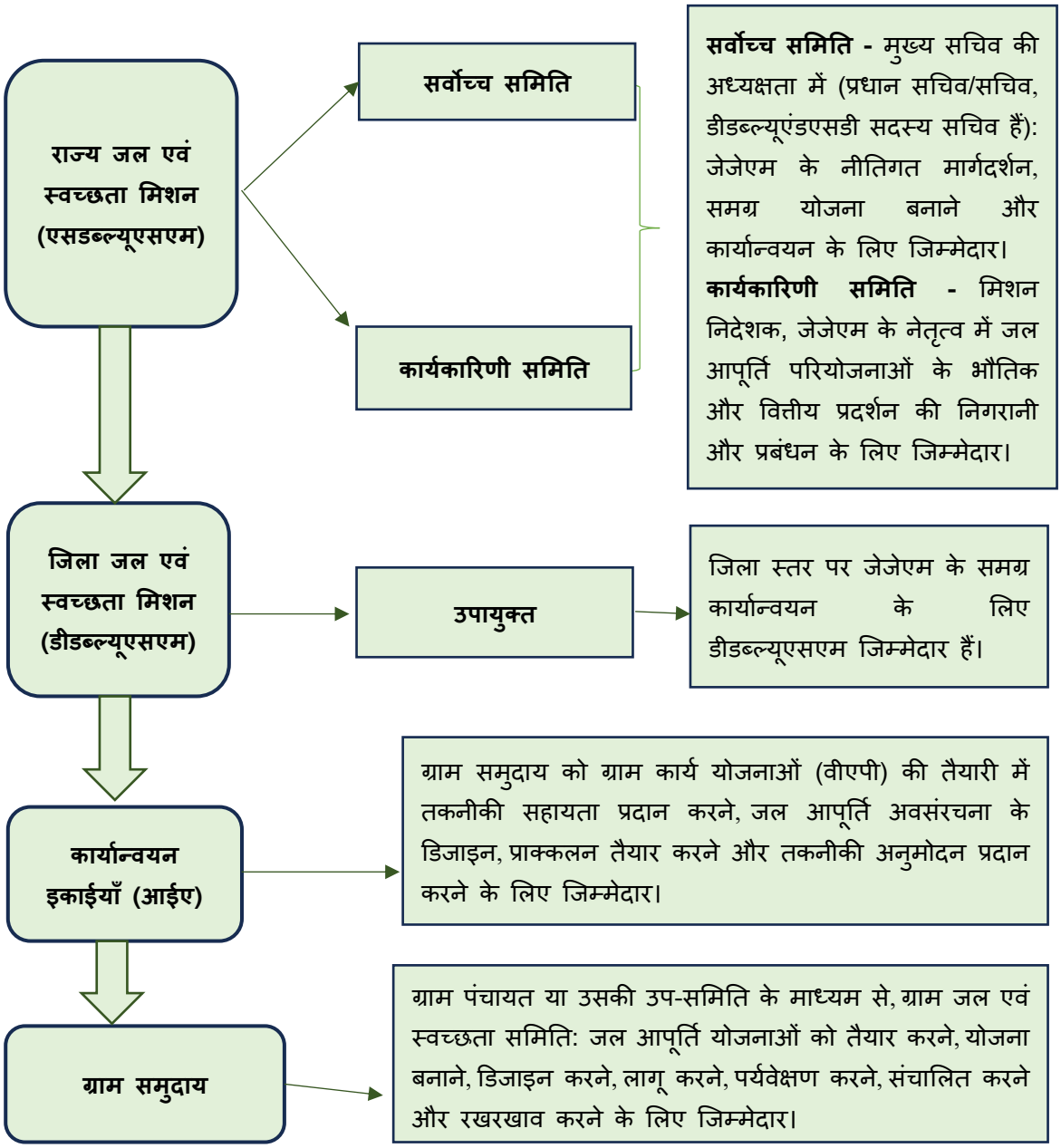

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जेजेएम के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) यह आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि:

- कार्यक्रम के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है
- योजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और परिचालन-पश्चात प्रबंधन के लिए एक कुशल संस्थागत ढांचा मौजूद है।
- वित्तीय संसाधनों का उपयोग किफायती और कुशल तरीके से किया गया है; और
- इस कार्यक्रम के माध्यम से निर्मित संपत्तियां अगले दो से तीन दशकों तक टिकाऊ/स्थायित्व हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा से समझौता नहीं करती हैं।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों को जिन मुख्य स्रोतों से लिया गया है, वे निम्नलिखित हैं:

- जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश
- जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण ढांचा
- झारखण्ड वित्तीय नियम, झारखण्ड लोक निर्माण लेखा संहिता, झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता और उनके अंतर्गत जारी निर्देश; और
- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जेजेएम के कार्यान्वयन के संबंध में जारी किए गए आदेश।

2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए यह निष्पादन लेखापरीक्षा सितंबर और नवंबर 2024 के बीच आयोजित किया गया था। विभाग के प्रधान सचिव, मुख्य अभियंता-सह-कार्यकारी निदेशक, पीएमयू (एसडब्ल्यूएसएम), और 24 जिलों में से छः[3] जिलों के नौ[4] डीडब्ल्यूएस प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं के अभिलेखों की जांच की गई। ग्रामीण परिवारों के आच्छादन के संबंध में उनकी उपलब्धियों के आधार पर जिलों को दो[5] स्तरों में विभाजित करने के बाद सरल यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से जिलों का चयन किया गया। जेजेएम के तहत उपलब्धि का विश्लेषण करने के लिए बारह प्रखंडों (प्रत्येक जिले से दो) और 26 गाँवों

---

[3] धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हज़ारीबाग, खूंटी, कोडरमा और पश्चिमी सिंहभूम।

[4] डीडब्ल्यूएस प्रमंडल: आदित्यपुर, चाईबासा, चक्रधरपुर, धनबाद-I, धनबाद-II, हज़ारीबाग़, जमशेदपुर, खूंटी और झुमरीतिलैया।

[5] एक स्तर में ग्रामीण घरों को एफएचटीसी से आच्छादित करने के संबंध में 50 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हासिल करने वाले जिले और दूसरे स्तर में 50 प्रतिशत तक उपलब्धि हासिल करने वाले जिले। प्रत्येक स्तर से तीन जिलों का चयन किया गया है।

(चयनित प्रखंड में उच्च उपलब्धि वाले गाँव) का चयन किया गया था। चयनित गाँवों में लेखापरीक्षा द्वारा 479 लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी किया गया ताकि उन्हें दी जा रही सेवाओं की स्थिति और आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता का आकलन किया जा सके।

अभिलेखों की जांच, आंकड़ों के विश्लेषण, प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित जानकारी, लेखापरीक्षा ज्ञापन पर विभागीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया, लाभार्थी सर्वेक्षण और संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी) के माध्यम से लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निकाले गए हैं। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए, जेपीवी और लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान जेजेएम के तहत निर्मित संपत्तियों की ली गई छायाचित्रों को भी शामिल किया गया है।

विभाग के अतिरिक्त सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मेलन (09 सितंबर 2024) आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, दायरे, मानदंडों और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। विभाग के प्रधान सचिव के साथ एक निकास सम्मेलन (24 जून 2025) भी आयोजित की गई जिसमें विभाग की ओर से प्राप्त उत्तर (मार्च से जुलाई 2025 तक) और निकास सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए गए विचारों को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2 झारखण्ड में जेजेएम की प्रगति

वित्तीय प्रगति

2.2.1 निधि का उपयोग

जेजेएम के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच निधि साझाकरण का स्वरुप, आच्छादन (संपत्तियों का निर्माण) के लिए 50:50 और सहायक गतिविधियों (आईईसी, मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण, सामुदायिक लामबंदी/जुटाव आदि) और जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएस) के लिए 60:40 था।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) ने जेजेएम के तहत 98,067 योजनाओं[6] को मंजूरी (जनवरी 2020 से फरवरी 2023 के बीच) दी, जिनकी प्राक्कलित राशि ₹24,360.91 करोड़ है। इनमें से 97,535 योजनाओं को ₹24,665.29 करोड़ की स्वीकृत लागत पर क्रियान्वयन के लिए लिया गया था। दिसंबर 2024 तक, 27,249 (28 प्रतिशत) योजनाएं पूरी हो चुकी थीं। 70,286 अपूर्ण योजनाओं में से 35,783 (51 प्रतिशत) योजनाएं दो साल से अधिक समय से अपूर्ण थीं।

---

[6] एसवीएस: 97,770 का प्राक्कलित राशि ₹ 8,076.34 करोड़ और एमवीएस: 297 का प्राक्कलित राशि ₹ 16,284.57 करोड़।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग 2019-24 के दौरान जेजेएम के तहत उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सका, जैसा कि **चार्ट 2.1** और **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: वर्ष 2019-24 के दौरान जेजेएम के अंतर्गत उपलब्ध राशि और व्यय

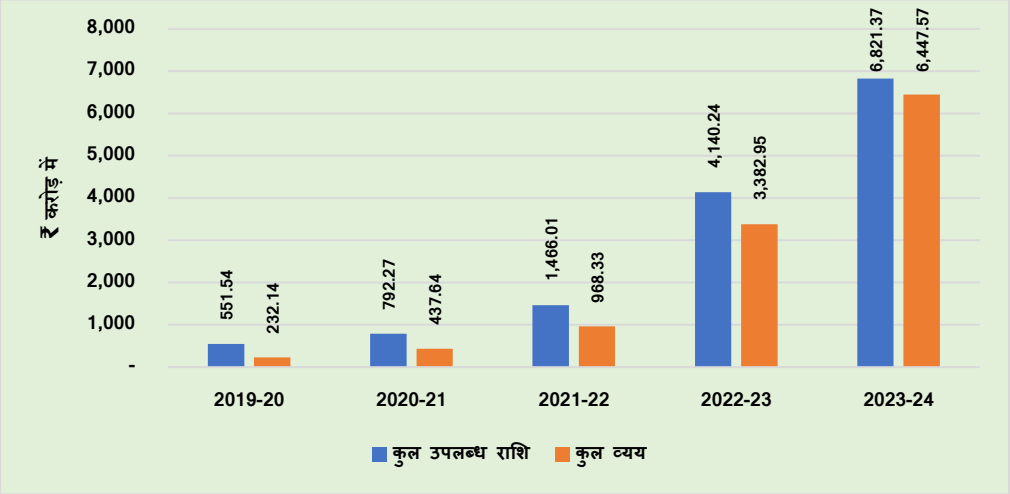

तालिका 2.1: वर्ष 2019-24 के दौरान जेजेएम के अंतर्गत उपलब्ध और उपयोग की गई राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष (केंद्रीय और राज्य)	प्राप्ति (केंद्रीय और राज्य)	कुल उपलब्ध राशि	कुल व्यय	जमा शेष	अप्रयुक्त राशि का प्रतिशत
2019-20	152.33	399.21	551.54	232.14	319.40	58
2020-21	319.40	472.87	792.27	437.64	354.63	45
2021-22	354.63	1,111.38	1,466.01	968.33	497.68	34
2022-23	497.68	3,642.56	4,140.24	3,382.95	757.29	18
2023-24	757.29	6,064.07	6,821.36	6,447.57	373.79	5
कुल		**11,690.09**[7]		**11,468.63**	**373.79**	

तालिका 2.1 से यह देखा जा सकता है कि राज्य 2019-24 के दौरान उपलब्ध राशि ₹11,842.42 करोड़ में से केवल ₹11,468.63 करोड़ का ही उपयोग कर सका। अप्रयुक्त शेष राशि जो वर्ष 2019-20 में उपलब्ध राशि का 58 प्रतिशत थी, 2023-24 में घटकर पांच प्रतिशत रह गई। जेजेएम के प्रारंभिक वर्षों में राशि का कम उपयोग मुख्य रूप से कोविड महामारी (2019-2022) और सहायक गतिविधियों और डब्ल्यूक्यूएमएस के तहत राशि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण था, जैसा कि **कंडिका 2.2** में विस्तार से बताया गया है।

इससे चल रही योजनाओं के पूरा होने में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए नियोजित एफएचटीसी आच्छादन प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त, पूंजी और मानवबल की कमी वाले अकुशल संवेदकों को कार्यों का आवंटन कार्य की धीमी प्रगति

[7] इसमें ₹53.04 करोड़ का बैंक ब्याज और ₹76.87 करोड़ की विविध प्राप्तियां शामिल हैं।

का एक अन्य कारण था, जिससे निधि का कम उपयोग हुआ जैसा कि **कंडिका 4.2** और **4.3** में चर्चा की गई है।

2.2.2 सहायक गतिविधियों और जल गुणवत्ता निगरानी पर निधियों का अल्प उपयोग

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, जल अवसंरचना के निर्माण के अलावा, इस योजना का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों की क्षमता का निर्माण करना भी था, ताकि वे गाँवों में जल आपूर्ति प्रणालियों का स्वामित्व, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव कर सकें। इस उद्देश्य के लिए, जेजेएम ने राज्यों को वार्षिक आवंटन के पांच प्रतिशत तक की राशि को सहायक गतिविधियों के लिए निधि के रूप में आवंटित करने का प्रावधान किया। इन निधियों का उपयोग जल के विवेकपूर्ण उपयोग, सामुदायिक योगदान और स्वामित्व के बारे में समुदायों में जागरूकता फैलाने और उन्हें संवेदनशील बनाने, ग्राम पंचायतों और/या इसकी उप-समितियों की क्षमता निर्माण करने के लिए किया जाना था ताकि वे गाँव के भीतर के बुनियादी ढांचे की योजना बनाने, उसे लागू करने, प्रबंधित करने, संचालित करने और रखरखाव करने में सक्षम हों, संस्थागत तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, और विभिन्न आवश्यक मानव संसाधनों जैसे राजमिस्त्री, प्लंबर, बिजली मिस्त्री, मोटर मैकेनिक, पंप संचालक आदि के कौशल का निर्माण किया जा सके। इन गतिविधियों का उद्देश्य जल आपूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समुदायों के बीच जिम्मेदार और उत्तरदायी नेतृत्व विकसित करना था।

इसके अलावा, समुदायों को सुरक्षित और स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूक्यूएमएस आवश्यक था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्यों को आवंटित राशि का दो प्रतिशत तक डब्ल्यूक्यूएमएस गतिविधियों को संचालित करने के लिए निर्धारित किया गया था, जिसमें राज्य/जिला/अनुमंडल स्तर पर पीपीपी मोड के तहत प्रयोगशालाओं की स्थापना, मौजूदा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन शामिल था, जिसमें उपकरण, यंत्र, रसायन/अभिकर्मक, कांच के बर्तन, उपभोज्य सामग्रियों की खरीद, आउटसोर्स मानव संसाधनों की नियुक्ति, जल नमूनों के परिवहन के लिए वाहनों को किराए पर लेना, एनएबीएल मान्यता के लिए किए गए व्यय, एफटीके, रिफिल और जीवाणु पहचान किट की खरीद शामिल थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार ने वर्ष 2019-24 के दौरान जेजेएम के तहत ₹5,917.46 करोड़ विमुक्त किए थे, एवं निर्देश दिया था कि निर्धारित प्रतिशत राशि का उपयोग सहायक गतिविधियों और डब्ल्यूक्यूएमएस पर किया जाए। इस प्रकार, राज्य के पास सहायक गतिविधियों पर खर्च करने के लिए ₹493.12 करोड़[8] और

[8] ₹ 5,917.46 करोड़ का पाँच प्रतिशत = ₹ 295.87 करोड़ (भारत सरकार का 60 प्रतिशत हिस्सा)

डब्ल्यूक्यूएमएस पर खर्च करने के लिए ₹197.25 करोड़[9] थे। हालांकि, राज्य ने 2019-24 के दौरान सहायक गतिविधियों पर केंद्रीय हिस्से से केवल ₹83.35 करोड़ (1.41 प्रतिशत) और डब्ल्यूक्यूएमएस पर ₹50.58 करोड़ (0.85 प्रतिशत) का ही उपयोग कर सका। बाद में भारत सरकार ने (मई 2023) राज्यों को योजनाओं के क्रियान्वयन पर सहायक और डब्ल्यूक्यूएमएस की अप्रयुक्त राशि का उपयोग करने की अनुमति दी। तदनुसार, राज्य ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर सहायक गतिविधियों की अप्रयुक्त राशि ₹160 करोड़ का उपयोग किया।

राशि की उपलब्धता के बावजूद, सहायक गतिविधियों और डब्ल्यूक्यूएमएस पर कम व्यय के कारण कार्यान्वयन सहायक एजेंसियों और तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों की नियुक्ति में विलंब हुई (जैसा कि **कंडिका 2.3.2** और **2.4.5** में चर्चा की गई है) और प्रयोगशालाओं के लिए एफटीके, रसायनों और उपकरणों की कम खरीद हुई (जैसा कि **कंडिका 2.5.1, 2.5.2** और **2.5.4** में चर्चा की गई है)। इन राशि के उपयोग में कमी का प्रतिकूल प्रभाव ग्राम कार्य योजना (वीएपी) को तैयार करने, लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने और सभी निर्धारित मापदंडों के विरुध्द जल गुणवत्ता परीक्षण करने पर भी पड़ा।

इसके जवाब में विभाग ने कहा (जुलाई 2025) कि अब से सहायक गतिविधियों और डब्ल्यूक्यूएमएस पर पर्याप्त राशि का उपयोग किया जाएगा।

अनुशंसा 1: विभाग जल आपूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता और गुणवत्तापूर्ण जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित सहायक और जल गुणवत्ता निगरानी निधि का उपयोग कर सकता है।

भौतिक प्रगति

2.2.3 घरों का आच्छादन

अगस्त 2019 में, जब जेजेएम शुरू किया गया था, तब जेजेएम पोर्टल के अनुसार झारखण्ड में 52,27,214 ग्रामीण घर थे। इनमें से 3,45,165 (सात प्रतिशत) घरों को पहले ही नल के पानी का संयोजन हो चुका था। मार्च 2025 तक, झारखण्ड में 62,53,471 घरों[10] में से 34,31,115 (55 प्रतिशत) घरों को एफएचटीसी प्रदान किए जा चुके थे, जैसा कि **चार्ट 2.2.2** में दिखाया गया है।

और ₹ 197.25 (राज्य सरकार का 40 प्रतिशत हिस्सा)

[9] ₹ 5,917.46 करोड़ का दो प्रतिशत = ₹ 118.35 करोड़ (भारत सरकार का 60 प्रतिशत हिस्सा) और ₹ 78.90 (राज्य सरकार का 40 प्रतिशत हिस्सा)

[10] जेजेएम पोर्टल पर घरों की संख्या में भिन्नता पाई जाती है क्योंकि घरों का आंकड़ा नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

चार्ट 2.2.2: राज्य में 2019-20 से 2024-25 के दौरान एफएचटीसी आच्छादन

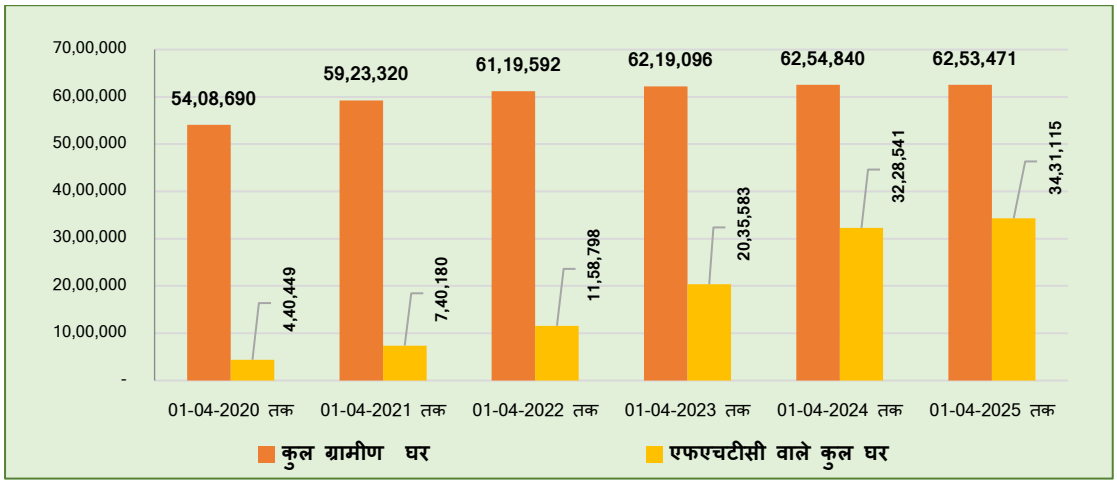

(स्रोत: जेजेएम डैशबोर्ड)

मार्च 2025 तक राज्य में एफएचटीसी आच्छादन लगभग 55 प्रतिशत था, जो राष्ट्रीय औसत 80 प्रतिशत[11] से कम था।

नमूना जांचित जिलों के संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2025 तक 15,79,352 घरों में से 8,38,614 (53 प्रतिशत) घरों को एफएचटीसी प्रदान किए गए थे, जैसा कि **चार्ट 2.2.3** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.2.3: नमूना जांचित जिलों में प्रदान की गई एफएचटीसी की संख्या

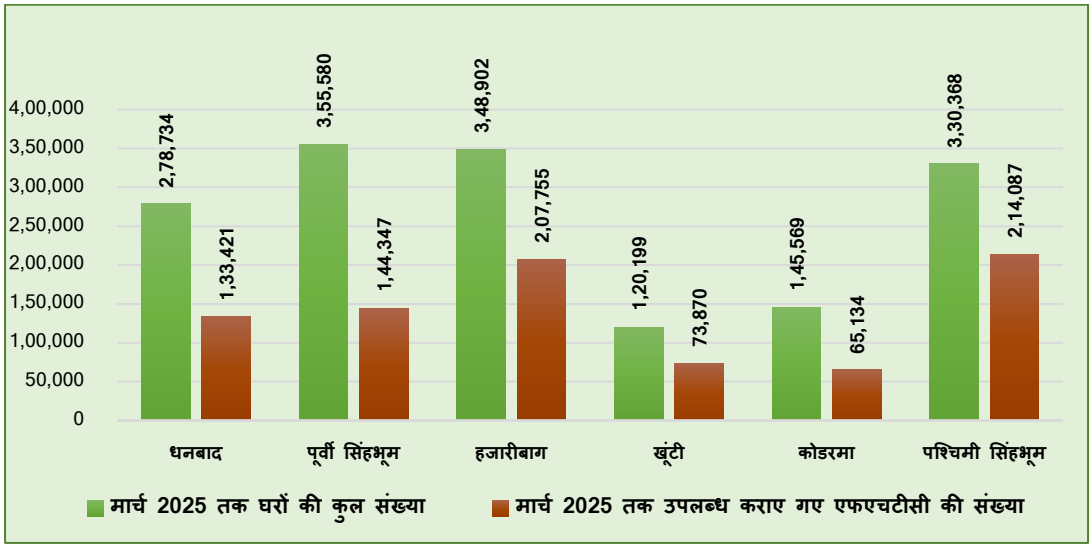

(स्रोत: जेजेएम डैशबोर्ड)

नमूना जांचित जिलों में एफएचटीसी आच्छादन 41 प्रतिशत (पूर्वी सिंहभूम) और 65 प्रतिशत (पश्चिमी सिंहभूम) के बीच रहा। मार्च 2025 तक, नमूना जांचित छः जिलों में से तीन[12] जिलों में उपलब्धियां राज्य के औसत 55 प्रतिशत से कम थीं।

---

[11] 19,36,40,317 में से 15,56,62,752 घर।

[12] धनबाद: 48 प्रतिशत, पूर्वी सिंहभूम: 41 प्रतिशत और कोडरमा: 45 प्रतिशत।

इस प्रकार, मिशन की प्रारंभिक अवधि यानी दिसंबर 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को एफएचटीसी के माध्यम से जल आपूर्ति प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाए जाने के मद्देनजर, राज्य सरकार चल रही परियोजनाओं की समय-सीमा को पुनर्निर्धारित करने की प्रक्रिया में थी।

इसके जवाब में विभाग ने कहा (जुलाई 2025) कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए जेजेएम अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है और तदनुसार, मार्च 2028 तक सभी ग्रामीण घरों को आच्छादित करने के लिए योजना को संशोधित किया जा रहा है। निकास सम्मेलन (जून 2025) में विभाग ने कहा कि चल रही मेगा जल आपूर्ति परियोजनाओं के पूरा होने पर आच्छादन में वृद्धि होगी।

2.2.4 गाँवों का आच्छादन

जेजेएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई राजस्व ग्राम 100 प्रतिशत एफएचटीसी का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, तो उसे 100 प्रतिशत एफएचटीसी गाँव घोषित किया जाएगा, जिसे हर घर जल (एचजीजे) रिपोर्टेड गाँव कहा जाता है। इसके लिए, संबंधित जल आपूर्ति प्रमंडल यह प्रमाणित करेगा कि गाँवों के सभी परिवारों और सार्वजनिक संस्थानों जैसे स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों आदि को नलों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके बाद संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रमाण-पत्र का सत्यापन किया जाएगा और फिर ग्राम सभा एक प्रस्ताव पारित कर गाँवों को एचजीजे प्रमाणित गाँव के रूप में पुष्टि करेगा।

एफएचटीसी से आच्छादित गाँवों का प्रतिशत **चार्ट 2.2.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2.4: वर्ष 2020-25 (मार्च 2025 तक) के दौरान राज्य में गाँवों का आच्छादन

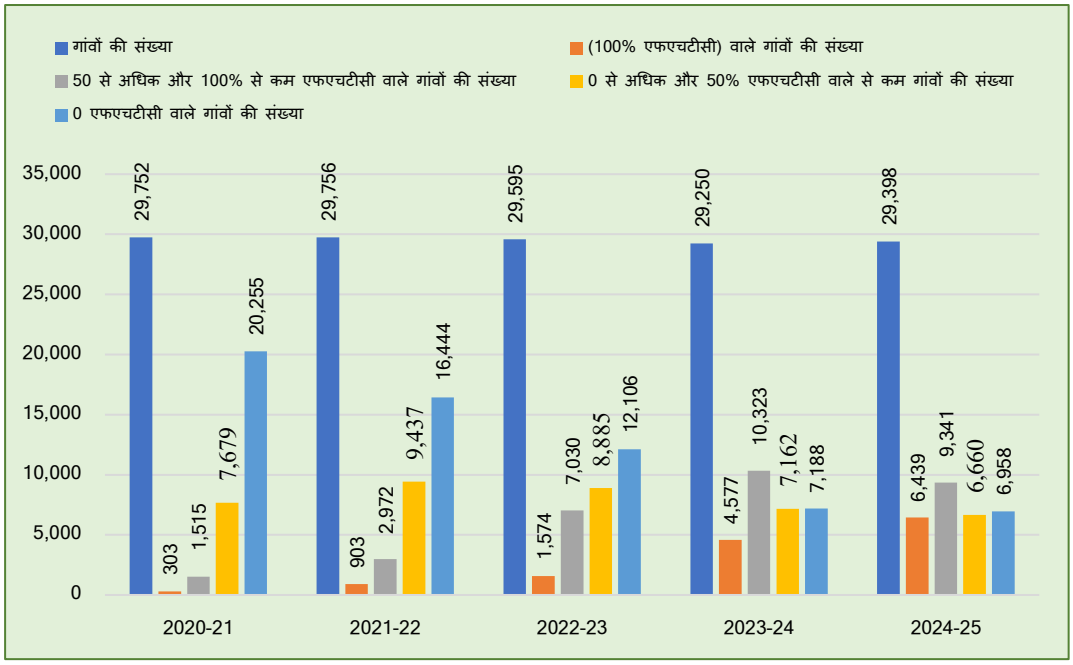

(स्रोत: जेजेएम डैशबोर्ड)

चार्ट 2.2.4 से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2025 तक 29,398 गाँवों में से 6,439 (22 प्रतिशत) गाँवों में एफएचटीसी का पूर्ण आच्छादन था। शेष 22,959 गाँवों (78 प्रतिशत) को अभी तक पूर्ण एफएचटीसी प्रदान नहीं किया गया था। 6,439 पूर्णतः आच्छादित गाँवों में से 4,631 गाँवों (72 प्रतिशत) को संबंधित डीडब्ल्यूएस प्रमंडलों द्वारा एचजीजे रिपोर्टेड गाँवों के रूप में प्रमाणित किया गया था। इनमें से केवल 2,279 (49 प्रतिशत) गाँवों को ही संबंधित ग्राम सभा द्वारा एचजीजे गाँवों के रूप में पुष्टि की गई थी, जिसका मुख्य कारण ग्राम पंचायतों द्वारा एफएचटीसी का सत्यापन न होना था।

इसके अलावा, मार्च 2025 तक राज्य के 6,958 गाँवों (24 प्रतिशत) में कोई एफएचटीसी नहीं थे, जिसका मुख्य कारण चल रही योजनाओं का पूरा न होना था।

मार्च 2025 तक, नमूना-जांचित छः जिलों के 6,952 गाँवों में आच्छादन का प्रतिशत **चार्ट 2.2.5** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.2.5: नमूना जांचित जिलों में गाँवों का आच्छादन

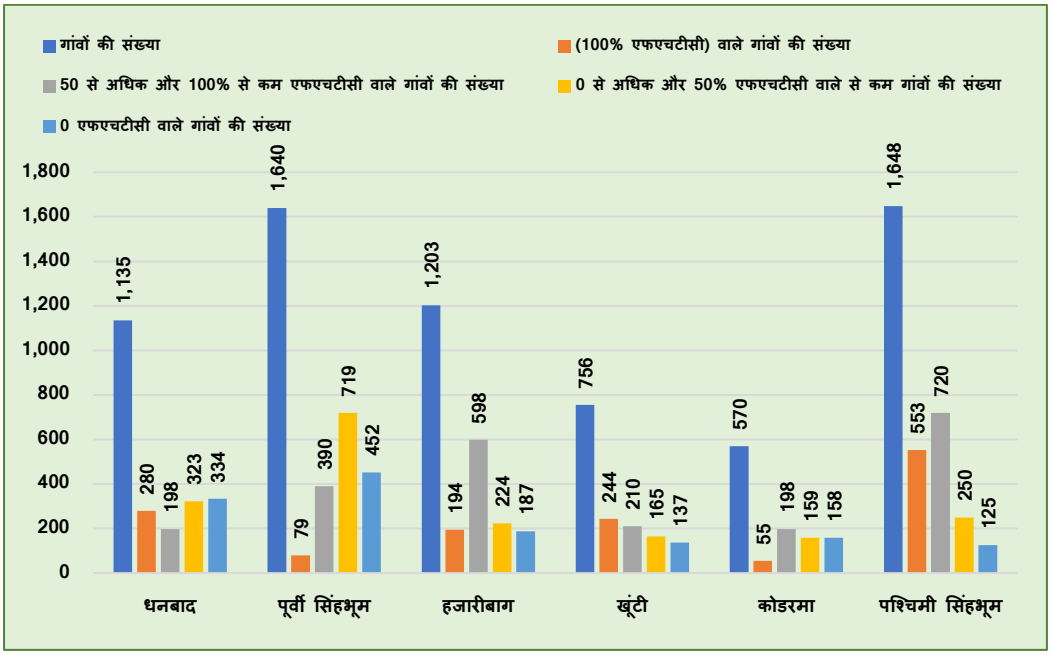

(स्रोत: जेजेएम डैशबोर्ड)

चार्ट 2.2.5 में दर्शाए अनुसार, नमूना-जांचित जिलों में केवल 1,405 (20 प्रतिशत) गाँवों में ही एफएचटीसी आच्छादन 100 प्रतिशत था।

इसके जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि एचजीजे प्रमाणित गाँवों की संख्या में अंतराल से बचने के लिए प्रमंडल अभियंताओं द्वारा एफएचटीसी के शत प्रतिशत सत्यापन के बाद एचजीजे गाँवों की रिपोर्टिंग और प्रमाणन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित (दिसंबर 2024) की गई थी।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जुलाई 2025 तक पूरी तरह से आच्छादित 6,977 (29,398 में से 24 प्रतिशत) गाँवों के विरुद्ध, एचजीजे की सूचना प्राप्त गाँवों की संख्या 69 प्रतिशत (4,830) थी, लेकिन एचजीजे प्रमाणित गाँवों की संख्या 39 प्रतिशत (2,705) ही रही। इस प्रकार, इस उद्देश्य के लिए मानक प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने के बावजूद, एचजीजे गाँवों की रिपोर्टिंग और प्रमाणीकरण में कोई सुधार नहीं हुआ।

2.2.5 जल आपूर्ति की पर्याप्तता

जेजेएम के तहत, एफएचटीसी के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर को नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा (कम से कम 55 एलपीसीडी) पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जेजेएम के तहत शुरू की गई प्रत्येक एकल ग्राम योजना[13] (एसवीएस) में भंडारण टंकी में पानी के प्रवाह पर नज़र रखने के लिए एक सेंसर आधारित रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) लगाया गया था। नमूना जांचित पांच[14] प्रमंडलों में 40 एसवीएस के आरएमएस आंकड़ों (जुलाई और सितंबर 2024 के लिए) से पता चला कि:

- 40 एसवीएस में से 20 को 983 एफएचटीसी उपलब्ध कराने थे और इस प्रकार, प्रत्येक घर को कम से कम 55 एलपीसीडी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रति माह (30 दिन) 81.10 लाख लीटर पानी की आवश्यकता थी। हालांकि, प्रदान किये 873 एफएचटीसी में नमूना जांचित महीनों में इन एसवीएस का जल प्रवाह 29.89 लाख लीटर (37 प्रतिशत) था।
- शेष 20 एसवीएस को 421 एफएचटीसी के लिए योजनाबद्ध किया गया था और इसलिए न्यूनतम मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रति माह कम से कम 34.73 लाख लीटर पानी आवश्यक था। आवश्यकता के मुकाबले, प्रदान किये 338 एफएचटीसी के लिए इन एसवीएस का जल प्रवाह 69.34 लाख लीटर (200 प्रतिशत) था।

इस प्रकार, 50 प्रतिशत नमूना जांचित एसवीएस लाभार्थियों को निर्धारित न्यूनतम मात्रा से आधे (37 प्रतिशत) कम पानी की आपूर्ति कर रहे थे, जबकि शेष 50 प्रतिशत एसवीएस लाभार्थियों को अतिरिक्त पानी उपलब्ध करा रहे थे।

---

[13] भूमिगत जल आधारित एक योजना जिसमें स्रोत के रूप में खोदे गए ट्यूबवेल का उपयोग किया गया है और जिसमें जल स्तर निर्धारण प्रणाली के साथ स्वचालित रूप से शुरू और बंद करने की व्यवस्था है।

[14] चाईबासा, धनबाद II, हज़ारीबाग़, खूंटी और झुमरीतिलैया।

लाभार्थी सर्वेक्षण (सितंबर और अक्टूबर 2024) के दौरान, बमरजा[15] गाँव के 10 लाभार्थियों ने (सितंबर 2024 में) बताया कि एसवीएस का सौर पंप बरसात/बादल वाले दिनों में ठीक से काम नहीं करता था, जिसके परिणामस्वरूप पानी की टंकी खाली रह जाती थी। परिणामस्वरूप, उन्हें काफी दूरी पर स्थित मौजूदा हैंडपंप/खुले कुएं से पानी लाना पड़ता था। बरहोरिया गाँव[16] में एसवीएस का भंडारण टंकी कम ऊंचाई[17] पर स्थापित पाया गया (**चित्र 2.1**), जिसके परिणामस्वरूप पानी का बहाव कम हो गया और लाभार्थियों को पानी की अपर्याप्त आपूर्ति हुई। एसवीएस के छः लाभार्थियों ने (अक्टूबर 2024) बताया कि उन्हें भंडारण टंकी के पास स्थित एक टूटी हुई वितरण पाईपलाइन (**चित्र 2.2**) से या मौजूदा हैंडपंप से पानी लाना पड़ता था।

चित्र 2.1

चित्र 2.2

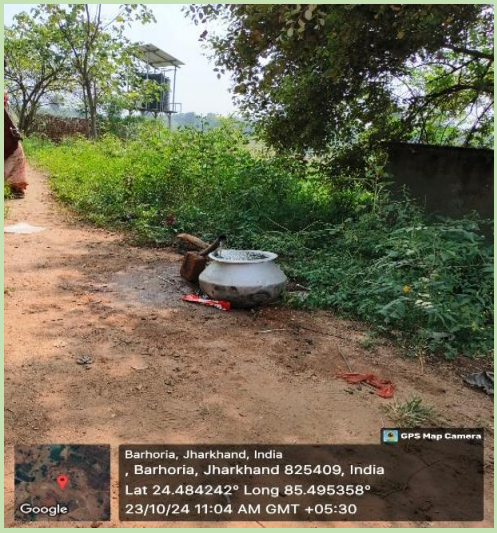

इस प्रकार, भौतिक रूप से सत्यापित एसवीएस में सभी लाभार्थियों को निर्धारित न्यूनतम मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी, क्योंकि उनके कामकाज में खामियां थीं या भंडारण टंकी की स्थापना दोषपूर्ण थी।

इसके जवाब में विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि आरएमएस के कामकाज की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। मुख्य सचिव ने जिलों के उपायुक्तों को भी इस पर नजर रखने का निर्देश दिया था। विभाग ने (जुलाई 2025) अपर्याप्त धूप के कारण बरसात के मौसम में सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं से कम जल निकासी को भी स्वीकार किया।

निकास सम्मेलन (जून 2025) में विभाग ने कहा कि चालू परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव की निगरानी ग्रामीणों द्वारा की जानी थी, जिसके लिए नियमित रूप से

---

[15] पंचायत: बमरजा, प्रखंड: कर्रा और जिला: खूंटी।

[16] पंचायत: जरगा, प्रखंड: कोडरमा और जिला: कोडरमा।

[17] मॉडल प्राक्कलन में निर्धारित 10-12 मीटर से कम।

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। विभाग ने यह भी बताया कि राज्य के कोष से आवश्यकता के आधार पर एसवीएस के लिए पानी के नए स्रोत बनाए गए हैं।

अनुशंसा 2: विभाग कार्यशील एसवीएस में खामियों को दूर करके प्रत्येक लाभार्थी को न्यूनतम निर्धारित मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है।

2.2.6 लाभार्थी सर्वेक्षण

जेजेएम दिशानिर्देशों में संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है, ताकि विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और लाभार्थियों की संतुष्टि के स्तर के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिल सके।

इसके अलावा, जेजेएम दिशानिर्देशों में प्रत्येक घर में तीन वितरण बिंदुओं, अर्थात् रसोई, धुलाई क्षेत्र और शौचालय में एफएचटीसी के माध्यम से लाभार्थियों को नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाले पानी की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति की परिकल्पना की गई थी। तीन वितरण बिंदुओं में से एक बिंदु को जेजेएम के तहत वित्त पोषित किया जाना था। स्थानीय समुदायों को जेजेएम के उद्देश्य से परिचित कराने और उनमें जिम्मेदार और उत्तरदायी नेतृत्व विकसित करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधि भी संचालित की जानी थी ताकि वे गाँव में जल आपूर्ति प्रणालियों का स्वामित्व, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव कर सकें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा 2019-24 के दौरान झारखण्ड में जेजेएम का सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया था। अंतिम उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि के स्तर का विश्लेषण करने के लिए, लेखापरीक्षा ने नमूना जांचित छः जिलों के 26 नमूना जांचित गाँवों में 479 लाभार्थियों का लाभार्थी सर्वेक्षण किया।

यह पाया गया कि 479 लाभार्थियों में से चार[18] लाभार्थियों को एफएचटीसी उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जबकि 114 लाभार्थियों (24 प्रतिशत) को उनके एफएचटीसी से पानी की आपूर्ति नहीं मिल रही थी। शेष 361 लाभार्थी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे थे। जबकि 145 लाभार्थियों (40 प्रतिशत) को दैनिक/नियमित जल आपूर्ति नहीं मिली, 138 लाभार्थियों (38 प्रतिशत) को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला और 67 लाभार्थियों (19 प्रतिशत) ने गंदा पानी मिलने की सूचना दी।

इसके अलावा, 479 लाभार्थियों में से 111 (23 प्रतिशत) को निर्धारित वितरण बिंदु पर या उनके परिसर के निकट एफएचटीसी नहीं मिले और 397 लाभार्थी (83 प्रतिशत) आईईसी गतिविधियों में शामिल नहीं हुए।

---

[18] कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के एचजीजे प्रमाणित गांव चौढ़ी के तीन लाभार्थी और धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड के बंदरचुवां गांव का एक लाभार्थी।

इस प्रकार, 19 से 40 प्रतिशत लाभार्थी जेजेएम के तहत प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं थे।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया गया कि:

- पश्चिम सिंहभूम जिले के नवागाँव गाँव[19] में स्थित एसवीएस के भंडारण टंकी से जुड़ी आपूर्ति पाईप क्षतिग्रस्त पाई गई। एक परित्यक्त घर के किनारे एक नल संयोजन लगा हुआ देखा गया **(चित्र 2.3)**। वितरण पाईप भी जमीन पर पड़ा हुआ पाया गया **(चित्र 2.4)**, हालांकि संबंधित एसवीएस के प्राक्कलन के अनुसार इसे जमीन के नीचे बिछाया जाना आवश्यक था।

चित्र 2.3	चित्र 2.4

- राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) ने (नवंबर 2020) ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के मॉडल प्राक्कलन को मंजूरी दी, जिसमें कंक्रीट आधारित स्टैंडपोस्ट के माध्यम से एफएचटीसी उपलब्ध कराई जानी थी। हालांकि, नमूना जांचित कुरसी और गैसुती गाँवों[20] में स्टैंडपोस्ट वाले एफएचटीसी उपलब्ध नहीं पाए गए। इसके अलावा, आपूर्ति पाईप बिना किसी नल के जमीन पर पड़े हुए पाए गए **(चित्र 2.5 से 2.8)**।

चित्र 2.5	चित्र 2.6

[19] पंचायत: बेलजोरी, प्रखंड: सोनुआ और जिला: पश्चिम सिंहभूम।

[20] पंचायत: कुरसी, प्रखंड: चाईबासा सदर और जिला: पश्चिमी सिंहभूम.

चित्र 2.7	चित्र 2.8

इसके जवाब में विभाग ने कहा (जुलाई 2025) कि भारत सरकार ने कई कार्यात्मकता मूल्यांकन अध्ययन किए थे और राज्य सरकार ने ऐसे अध्ययनों के निष्कर्षों पर उचित कार्रवाई की थी। यह भी कहा गया कि विभाग ने अधीक्षण अभियंता (एसई) के नेतृत्व में अंचल-वार टीमों का गठन (अप्रैल 2025) किया है, ताकि सभी पूर्ण हो चुकी जल आपूर्ति योजनाओं की स्थिरता, कार्यक्षमता और विश्वसनीयता का आकलन किया जा सके और नियमित सत्यापन किया जा सके। विभाग ने आगे कहा कि सामाजिक लेखापरीक्षा की जाएगी।

2.3 संस्थागत व्यवस्था और योजना

2.3.1 असंगत आंकड़ों पर आधारित योजना

जेजेएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना निर्माण और उसके क्रियान्वयन में नीचे से ऊपर दृष्टिकोण अपनाया जाना था। जनगणना में सूचीबद्ध सभी राजस्व ग्रामों को उनकी बस्तियों सहित योजना की मूल इकाई के रूप में लिया जाना था। प्रत्येक गाँव के लिए एक ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार की जानी थी। इसके पश्चात्, वीएपी को समेकित कर जिला कार्य योजना (डीएपी) तैयार की जानी थी और अंततः डीएपी को समेकित कर राज्य कार्य योजना (एसएपी) तैयार की जानी थी, ताकि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सकें।

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्राम (आबाद एवं निर्जन) को एक विशिष्ट स्थान/जनगणना कोड (एलजीडी कोड) आवंटित किया गया था। जेजेएम पोर्टल पर दर्ज राजस्व ग्रामों के आंकड़ों को एलजीडी के आंकड़ों से सत्यापित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि झारखण्ड में एलजीडी के अनुसार 32,737 गाँव थे, जबकि जेजेएम पोर्टल पर केवल 29,398 गाँव दर्ज किए गए थे। इस प्रकार 3,339 गाँव, जो एलजीडी में जनगणना गाँवों के रूप में प्रदर्शित थे, जेजेएम पोर्टल में सम्मिलित नहीं किए गए।

एलजीडी और जेजेएम पोर्टल के अनुसार गाँवों की संख्या में नमूना जाँचित जिलों में पाया गया अंतर **तालिका 2.3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3.1: नमूना जाँचित जिलों में गाँवों की संख्या में अंतर

ज़िला	एलजीडी के अनुसार गाँवों की संख्या			जेजेएम पोर्टल पर गाँवों की संख्या	जेजेएम पोर्टल में सम्मिलित न किए गए गाँवों की संख्या
	आबाद	निर्जन	कुल		
कोडरमा	612	91	703	570	133
खूंटी	757	00	757	756	1
पूर्वी सिंहभूम	1,784	01	1,785	1,640	145
पश्चिमी सिंहभूम	1,659	28	1,687	1,648	39
धनबाद	1,139	75	1,214	1,135	79
हजारीबाग	1,322	01	1,323	1,203	120
कुल	**7,273**	**196**	**7,469**	**6,952**	**517**

तालिका 2.3.1 से यह देखा जा सकता है कि नमूना जाँचित जिलों के 517 गाँव (जिनमें नमूना जांचित जिलों के 321 आबाद गाँव शामिल हैं) जेजेएम पोर्टल में सम्मिलित नहीं किए गए, जबकि ये गाँव एलजीडी में जनगणना गाँवों के रूप में प्रदर्शित थे।

एसएलएसएससी ने एएपी 2023-24 को अनुमोदित करते समय (मार्च 2023) एलजीडी और जेजेएम पोर्टल के बीच गाँवों की संख्या में अंतर के मुद्दे पर चर्चा की और इसे मिलान करने का निर्णय लिया। किन्तु, नवम्बर 2024 तक राज्य पीएमयू द्वारा इन आंकड़ों का मिलान नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि छः नमूना जांचित जिलों के 70 गाँव, जिन्हें एलजीडी में निर्जन दिखाया गया था, जेजेएम पोर्टल पर आबाद गाँव के रूप में दर्शाए गए थे और इन गाँवों के कुल 8,063 घरों में से 2,692 घरों को एफएचटीसी प्रदान किए गए थे।

चूँकि ग्रामीण घरों की संख्या, जिन्हें गाँवों की वीएपी में शामिल किया गया था, एफएचटीसी प्रदान करने की मूल इकाई थी, अतः जेजेएम पोर्टल में सम्मिलित नहीं किए गए गाँवों में एफएचटीसी प्रदान न किए जाने का जोखिम था।

उत्तर में, विभाग ने (जुलाई 2025) बताया कि राजस्व ग्रामों की संख्या में अंतर के मुद्दे पर ध्यान दिया गया है और एलजीडी पंचायतों एवं गाँवों के आंकड़ों के मिलान हेतु भारत सरकार को पत्र भेजा गया है।

2.3.2 ग्राम स्तर की संस्थाएँ

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम कार्य योजना (वीएपी) का निर्माण ग्राम पंचायत (जीपी) अथवा उसकी उप-समिति (ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/ पानी समिति/ उपयोगकर्ता समूह) द्वारा, क्रियान्वयन सहयोग एजेंसी (आईएसए), जल

आपूर्ति विभाग और डीडब्ल्यूएसएम के सहयोग से किया जाना था। प्रत्येक वीडब्ल्यूएससी में 10 से 15 सदस्य होने अपेक्षित थे।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि:

- विभाग/एसडब्ल्यूएसएम ने (सितम्बर 2021) में खुले निविदा के माध्यम से 36 एनजीओ को आईएसए के रूप में सूचीबद्ध किया, जिनका अनुबंध काल 12 माह का था। आईएसए को वीएपी तैयार करने में; वीडब्ल्यूएससी का गठन करने में; समुदाय को सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) और सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय करने में; फील्ड टेस्ट किट्स (एफटीके) द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण में सहायता करने में; एफएचटीसी का जियो-टैगिंग और संबंधित आंकड़ा अद्यतन कराने में; तथा पूर्ण परिसंपत्तियों को वीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरण में सुविधा प्रदान करने में ग्राम पंचायतों की सहायता करनी थी। पीएमयू ने आगे प्रमंडलों को निर्देशित किया (जुलाई 2023) कि, आईएसए की अनुबंध अवधि को उनकी पूर्व प्रदर्शन समीक्षा करने के उपरांत (जैसे वीएपी की तैयारी, आईईसी और एसबीसीसी गतिविधियाँ, जल गुणवत्ता परीक्षण आदि कार्यों के सापेक्ष), मार्च 2024 तक बढ़ाया जाए।

नमूना जाँचित प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं (ईई) ने (सितम्बर 2021 से जनवरी 2022 के बीच) 10 आईएसए के साथ प्रारंभिक समझौते किए, ताकि छः नमूना जाँचित जिलों के 6,952 गाँवों[21] में से 600 गाँवों के वीएपी तैयार किए जा सकें। आगे, पीएमयू ने (फरवरी 2022 और मई 2023) में 4,305 अतिरिक्त वीएपी[22] का लक्ष्य तय किया। तथापि, नमूना जाँचित प्रमंडलों ने आईएसए की अनुबंध अवधि बढ़ाने हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की। परिणामस्वरूप, 2021-24 के दौरान, आईएसए 4,905 वीएपी के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 821 वीएपी[23] की तैयारी में ही सहायता कर सके। आईएसए द्वारा तैयार 32 वीएपी की जांच में यह पाया गया कि दो वीएपी में वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों का विवरण नहीं था, जबकि नौ वीएपी में केवल दो से पांच सदस्यों का विवरण था, जबकि वीडब्ल्यूएससी का गठन 10 से 15 सदस्यों के साथ किया जाना अपेक्षित था।

- आईएसए की नियुक्ति से पूर्व, प्रमंडलों ने अपने स्तर पर स्वयं वीएपी तैयार किए थे, जिनमें वीडब्ल्यूएससी और संबंधित ग्राम पंचायतों की कथित सहभागिता दर्शाई गई थी, और इन्हें 2020-21 में जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किया गया। नमूना जाँचित

---

[21] धनबाद: 1,135; पूर्वी सिंहभूम: 1,640; हजारीबाग: 1,203; खूंटी: 756; कोडरमा: 570 तथा पश्चिमी सिंहभूम: 1,648.

[22] धनबाद: 732; पूर्वी सिंहभूम: 1,009; हजारीबाग: 730; खूंटी: 461; कोडरमा: 371 तथा पश्चिमी सिंहभूम: 1,002.

[23] धनबाद: शून्य; पूर्वी सिंहभूम: 180; हजारीबाग: 184; खूंटी: 88; कोडरमा: 60 तथा पश्चिमी सिंहभूम: 309.

26 गाँवों के अपलोडेड वीएपी की लेखापरीक्षा समीक्षा में पाया गया कि 26 में से चार वीएपी में वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों का विवरण नहीं था, जबकि 20 वीएपी में केवल एक से तीन सदस्यों का ही विवरण था। इसके अतिरिक्त, धनबाद जिले के 111 वीएपी, जिन्हें प्रमंडल द्वारा तैयार किया गया था, उनमें ग्राम पंचायत के मुखिया अथवा वीडब्ल्यूएससी के जल सहिया के हस्ताक्षर तो थे, परन्तु उनमें वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों का विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी जैसे ग्राम सभा की तिथि, ग्राम में कुल घरों, एफएचटीसी की आवश्यकता आदि सम्मिलित नहीं थी। केवल ग्राम, पंचायत, प्रखंड और जिला का नाम ही उल्लेखित पाया गया।

इस प्रकार, वीएपी की तैयारी में वीडब्ल्यूएससी की सहभागिता का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, विभाग ने (जुलाई 2025) में बताया कि आईएसए को वीएपी की तैयारी में वीडब्ल्यूएससी को तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था। आईएसए ने प्रमंडलों में अपना कार्य केवल जनवरी 2022 से ही प्रारंभ किया था। अतः प्रमंडलों ने राज्य स्तरीय टीमों द्वारा प्रदत्त सहयोग से अधिकतम संख्या में वीएपी तैयार किए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी गाँवों में वीडब्ल्यूएससी का गठन निर्धारित संख्या के सदस्यों के साथ नहीं किया गया और वीएपी की तैयारी में वीडब्ल्यूएससी की वास्तविक सहभागिता भी संदिग्ध प्रतीत होती है।

2.3.3 उच्च स्तरीय संस्थाएँ

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राज्य स्तर पर एसडब्ल्यूएसएम के साथ एसएलएसएससी (एसडब्ल्यूएसएम की सर्वोच्च समिति) और जिला स्तर पर डीडब्ल्यूएसएम स्थापित थे। तथापि, डीडब्ल्यूएसएम ने जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार वीएपी पर आधारित डीएपी की तैयारी सुनिश्चित नहीं की। जेजेएम के अंतर्गत योजनाएँ[24] प्रमंडलों अथवा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित की गईं और एसएलएसएससी द्वारा स्वीकृत की गईं, जिसमें डीडब्ल्यूएसएम की भागीदारी नहीं थी।

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, डीडब्ल्यूएसएम की मासिक बैठकें आयोजित की जानी थीं। नमूना जाँचित नौ प्रमंडलों में से केवल तीन प्रमंडल[25] ही डीडब्ल्यूएसएम की

---

[24] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नीर निर्मल योजना, मुख्यमंत्री जननल योजना, राज्य योजना आदि, के अंतर्गत चल रही तथा अपूर्ण योजनाएँ; राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत किन्तु प्रारंभ न की गई योजनाएँ; वे योजनाएँ जिनके लिए सक्षम विभागीय अभियंताओं द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है; तथा वे योजनाएँ जिन्हें मुख्य अभियंता, डीडब्ल्यूएसडी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

[25] हजारीबाग: 12; खूंटी: 8; कोडरमा: 20.

40 बैठकों की कार्यवृत्त (एमओएम) प्रस्तुत कर सके, जबकि जेजेएम के शुरू होने (अगस्त 2019) से लेकर सितंबर 2019 और मार्च 2024 के बीच कुल 165 बैठकें आयोजित की जानी अपेक्षित थीं। डीडब्ल्यूएसएम की एमओएम की जांच से यह ज्ञात हुआ कि प्रायः इन बैठकों में चल रही योजनाओं की पूर्णता में विलंब, लाभार्थियों को एफएचटीसी की आपूर्ति तथा आईईसी गतिविधियों पर चर्चा की गई। किन्तु, डीडब्ल्यूएसएम ने समुदायिक सहभागिता से वीएपी न तैयार होने के कारणों, उनके संकलन से डीएपी बनाने तथा डीएपी को एसडब्ल्यूएसएम को प्रस्तुत करने के विषयों की समीक्षा नहीं की।

इस प्रकार, डीडब्ल्यूएसएम ने जेजेएम की योजना और क्रियान्वयन में कोई प्रभावी योगदान नहीं दिया।

उत्तर में, विभाग ने (जुलाई 2025) में बताया कि 2021-23 के दौरान हितधारकों के लिए जिला स्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। जेजेएम की उचित योजना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर परामर्श बैठकें भी आयोजित की गईं। राज्य स्तर पर वीडब्ल्यूएससी और डीडब्ल्यूएसएम की भूमिका पर चर्चा हेतु कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की योजना बनाने और विभिन्न स्तरों पर संस्थाओं की भूमिका परिभाषित करने हेतु प्रशिक्षण और सहयोग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीडब्ल्यूएसएम ने वीएपी की तैयारी तथा उनके संकलन से डीएपी बनाने की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की, जैसा कि अपेक्षित था, ताकि जेजेएम के अंतर्गत प्रभावी योजना बनाई जा सके। निकास सम्मलेन के दौरान, प्रधान सचिव ने (जून 2025) में बताया कि आगे से जेजेएम की योजना प्रक्रिया में डीडब्ल्यूएसएम की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

2.3.4 योजना में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, वीएपी को संबंधित ग्राम सभा द्वारा उसके 80 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में अनुमोदित किया जाना अपेक्षित था।

नमूना जांचित प्रमंडलों में वीएपी की जाँच से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- नमूना जांचित 26 गाँवों के वीएपी, जो प्रमंडलों द्वारा तैयार किए गए थे, के विश्लेषण से यह पाया गया कि 26 में से 12 वीएपी बिना कोई ग्राम सभा की बैठक आयोजित किए तैयार किए गए थे। चार वीएपी में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं था। छः वीएपी केवल दो से छः प्रतिशत ग्राम सभा सदस्यों[26] द्वारा

[26] भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड की कुल जनसंख्या 3.29 करोड़ में से लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या (1.97 करोड़) मतदाता है। तदनुसार, किसी गाँव की कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत भाग ग्राम सभा के सदस्यों के रूप में माना गया है, क्योंकि गाँव का प्रत्येक मतदाता ग्राम

अनुमोदित किए गए थे। दो वीएपी को 12 से 17 प्रतिशत सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था, जबकि अन्य दो वीएपी क्रमशः 23 और 25 प्रतिशत सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए गए। इस प्रकार, प्रमंडलों द्वारा योजना निर्माण में समुदाय की सहभागिता अपेक्षित रूप से सुनिश्चित नहीं की गई।

- आईएसए की सहायता से तैयार किए गए तीन[27] नमूना जांचित प्रमंडलों के 32 वीएपी के विश्लेषण से यह पाया गया कि चाईबासा प्रमंडल के नौ वीएपी में ग्राम सभा की बैठकों की जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जबकि शेष दो प्रमंडलों के 23 वीएपी केवल एक से 12 प्रतिशत ग्राम सभा सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

इस प्रकार, वीएपी ग्राम समुदाय की सहभागिता से अपेक्षित रूप से तैयार नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान 479 लाभार्थियों में से 191 (40 प्रतिशत) ने यह बताया कि जेजेएम के अंतर्गत योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन से पूर्व उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया था।

उत्तर में, विभाग ने (जुलाई 2025) में बताया कि सभी उपायुक्तों और कार्यपालक अभियंताओं को (अगस्त और सितम्बर 2020) में यह निर्देश दिया गया था कि आईएसए की सहायता से वीएपी की तैयारी में समुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए। तथापि, अधिकांश वीएपी आईएसए की नियुक्ति से पूर्व ही प्रमंडलों द्वारा तैयार किए गए थे। इसके अतिरिक्त, निकास सम्मलेन (जून 2025) में, डीडब्ल्यूएसडी के प्रधान सचिव ने यह स्वीकार किया कि योजना के त्वरित क्रियान्वयन के कारण कुछ तैयार वीएपी में विसंगतियाँ रहीं और उन्होंने यह भी कहा कि आगे से योजना प्रक्रिया में डीडब्ल्यूएसएम और संबंधित उपायुक्त की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.3.5 सूक्ष्म स्तर की योजना

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, वीएपी एक आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की जानी थी, जिसमें गाँव की जल आपूर्ति का इतिहास और उपलब्धता, उपलब्ध जल स्रोतों का मानचित्रण तथा ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं/जरूरतों को सम्मिलित किया जाना था। इसमें गाँव की मौजूदा अवसंरचना की स्थिति (सामुदायिक परिसंपत्तियों सहित), मौजूदा जल स्रोतों की स्थिति, आवश्यक जलापूर्ति परियोजना (एसवीएस अथवा एमवीएस का हिस्सा) का प्रस्ताव तथा उनका स्थान, पशु-पात्र का स्थान, गाँव के भीतर जल आपूर्ति अवसंरचना के क्रियान्वयन का कार्यक्रम, ग्रे-वॉटर प्रबंधन योजना[28],

---

सभा का सदस्य होता है।

[27] चाईबासा-09; चक्रधरपुर-09 तथा खूंटी-14

[28] घरेलू मलरहित अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपचार को ग्रे वाटर कहा जाता है, जो सामान्यतः कुल

दीर्घकालिक ओ एंड एम योजना, अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण योजना तथा वित्तीय योजना सम्मिलित होना अपेक्षित था। गाँव में सभी पेयजल संबंधी कार्यों को अनुमोदित वीएपी के अनुसार ही लिया जाना था।

राज्य में कुल 29,398 गाँवों के विरुद्ध, नवम्बर 2024 तक 29,174 वीएपी तैयार किए गए थे, जिनमें छः नमूना जाँचित जिलों के 6,927 वीएपी सम्मिलित थे। 26 नमूना जाँचित गाँवों के वीएपी के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- प्रमंडलों द्वारा तैयार वीएपी में सामान्यतः गाँव की जनसंख्या, कुल घरों की संख्या, बिना नल संयोजन वाले घरों की संख्या तथा स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों जैसी सार्वजनिक संस्थाओं की संख्या की जानकारी दी गई थी। किन्तु इनमें मौजूदा अवसंरचना, उपलब्ध जल स्रोतों, ग्रे-वॉटर उत्पादन और उसके प्रबंधन की व्यवस्था का विवरण नहीं था। वीएपी में उपयुक्त जलापूर्ति योजनाओं (एमवीएस/एसवीएस) के प्रस्ताव, पशु-पात्र की आवश्यकता, चरणबद्ध क्रियान्वयन योजना और वित्तीय योजना का भी अभाव था।

- आईएसए की सहायता से तैयार तीन[29] नमूना जाँचित प्रमंडलों के 32 वीएपी के विश्लेषण से यह पाया गया कि इनमें भी दैनिक जल आवश्यकता का विश्लेषण, जल आपूर्ति का इतिहास, ग्रे-वॉटर उत्पादन/प्रबंधन की स्थिति, स्रोत स्थिरता का विश्लेषण तथा उपलब्ध स्रोतों की जल गुणवत्ता जैसी आवश्यक जानकारियाँ सम्मिलित नहीं थीं।

- आईएसए (फरवरी 2022 से मार्च 2024 के बीच) और प्रमंडलों (जुलाई एवं अगस्त 2021) द्वारा तैयार वीएपी के आंकड़ों में भी विसंगतियाँ पाई गईं, जैसा कि **तालिका 2.3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3.2: आईएसए और नमूना जाँच किए गए प्रमंडलों द्वारा तैयार वीएपी के आंकड़ों में विसंगति

श्रेणी	आईएसए की सहायता से तैयार वीएपी	प्रमंडलों द्वारा तैयार वीएपी
गाँवों की जनसंख्या	25,615	28,007
कुल घरों की संख्या	5,889	5,671

तालिका 2.3.2 से यह देखा जा सकता है कि 32 गाँवों की जनसंख्या आईएसए द्वारा तैयार वीएपी में कम दिखाई गई, जबकि घरों की संख्या प्रमंडलों द्वारा तैयार वीएपी की तुलना में अधिक दर्शाई गई।

इस प्रकार, यद्यपि वीएपी जेजेएम के योजना एवं क्रियान्वयन के मुख्य दस्तावेज थे, फिर भी इनमें आवश्यक विवरण जैसे - गाँव में जल आपूर्ति का इतिहास और उपलब्धता,

---

घरेलू जल के लगभग 80 प्रतिशत के बराबर होता है।

[29] चाईबासा-09; चक्रधरपुर-09 तथा खूंटी-14.

उपलब्ध जल स्रोतों का मानचित्रण तथा ग्राम समुदाय की आवश्यक्ताओं/जरूरतों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सम्मिलित नहीं किया गया।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुरसी गाँव[30] में कुरसी आरपीडब्लूएसएस के द्वारा 231 एफएचटीसी प्रदान किए गए थे, जिनमें उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, लदुरबासा में नल कनेक्शन भी सम्मिलित था, (नवम्बर 2017) जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) से लिया गया था। और नवम्बर 2019 से क्रियाशील थी। तथापि, उसी विद्यालय में ग्राम पंचायत द्वारा 2022-23 में स्वयं के फंड से ₹ दो लाख की लागत से पुनः पेयजल सुविधा स्थापित की गई। यह वीएपी में अभिसरण योजना के अभाव को दर्शाता है, जिसके कारण योजनाओं का दोहराव हुआ।

उत्तर में, विभाग ने (जुलाई 2025) में बताया कि दोहरे कार्यों से बचने हेतु डीडब्ल्यूएसएम स्तर पर अंतर-विभागीय बैठकों के माध्यम से समन्वय किया जाएगा। विभाग ने यह भी कहा कि वीएपी की गुणवत्ता बनाए रखना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और यह आश्वासन दिया कि भविष्य में वीएपी को अद्यतन करते समय सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा।

2.3.6 व्यापक स्तर की योजना

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, डीडब्ल्यूएसएम द्वारा वीएपी को समेकित करके जिला कार्य योजनाएँ (डीएपी) तैयार की जानी थीं और इनसे सभी घरों को 2024 तक एफएचटीसी उपलब्ध कराने का रोडमैप दिया जाना था। डीएपी को जिले की दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था, जिसके लिए वार्षिक जिला जल बजट तैयार किया जाना था, जो सतही और भूजल की उपलब्धता तथा उसके घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग पर आधारित हो। डीएपी में जल संरक्षण गतिविधियों की योजना, जल गुणवत्ता निगरानी/पर्यवेक्षण, वित्तीय संसाधन योजना, आईईसी गतिविधियाँ, कौशल विकास, स्थानीय समुदायों की सहभागिता आदि को सम्मिलित किया जाना था।

राज्य कार्य योजना (एसएपी) एसडब्ल्यूएसएम द्वारा डीएपी को समेकित कर 2024 तक की अवधि के लिए तैयार की जानी थी, जिसमें समग्र रणनीतिक योजना, क्रियान्वयन की रूपरेखा, लिए जाने वाले कार्यकलाप, समयबद्ध उपलब्धियाँ और वित्तीय प्रावधान शामिल होने थे। राज्य की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) एसएपी से तैयार की जानी थी।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में निम्नलिखित तथ्य सामने आए।

- नमूना जाँचित प्रमंडलों द्वारा लेखापरीक्षा को डीएपी उपलब्ध नहीं कराए गए। जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किए गए डीएपी के विश्लेषण से यह पाया गया कि उनमें

[30] पंचायत: कुरसी, प्रखंड: चाईबासा, जिला: पश्चिमी सिंहभूम.

केवल प्रखंडों, पंचायतों, गाँवों, सामुदायिक परिसंपत्तियों, कुल घरों की संख्या, नल संयोजन वाले घरों की संख्या, आवश्यक एफएचटीसी और नल कनेक्शनों से आच्छादित गाँवों की प्रतिशत संख्या संबंधी आंकड़े ही सम्मिलित थे। इन डीएपी में जिले की कुल जल आवश्यकता, जल उपलब्धता, जलापूर्ति परियोजनाओं के निर्माण का रोडमैप, जल संरक्षण की योजना और आवश्यक वित्तीय संसाधनों का विवरण सम्मिलित नहीं था।

- अनुरोध किए जाने के बावजूद, पीएमयू द्वारा एसएपी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। जेजेएम की जलापूर्ति योजनाएँ विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर एसएलएसएससी द्वारा अनुमोदित की गईं। एसएपी की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा यह निर्धारित नहीं कर पाया कि 2024 के अंत तक ग्रामीण घरों को शत-प्रतिशत एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए राज्य की रणनीति/योजना पर्याप्त थी या नहीं।

- राज्य की 2020-21 से 2023-24 तक की एएपी में मुख्यतः अनाच्छादित घरों की स्थिति, वर्ष हेतु एफएचटीसी का लक्ष्य, आवश्यक वित्तीय संसाधन और पूर्ववर्ती एएपी के विरुद्ध उपलब्धियाँ सम्मिलित थीं। तथापि, विभिन्न वर्षों की एएपी में घरों की संख्या में अंतर पाया गया, जैसा कि **तालिका 2.3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3.3: विभिन्न वर्षों की एएपी में घरों के आंकड़ों में अंतर

श्रेणी	एएपी 2020-21	एएपी 2021-22	एएपी 2022-23	एएपी 2023-24
गुणवत्ता प्रभावित गाँवों में कुल घर	17,700[31]	13,177	7,638	उपलब्ध नहीं
सूखा-प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्र में अनाच्छादित घर	22,52,816	26,05,320	21,84,403	उपलब्ध नहीं
एससी/एसटी बहुल गाँवों में अनाच्छादित घर	20,70,789	25,38,392	20,35,364	17,63,847
पीवीटीजी बस्तियों में अनाच्छादित घर	21,384	399	उपलब्ध नहीं	37,765

तालिका 2.3.3 से यह स्पष्ट है कि 2020-24 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में कुल और अनाच्छादित घरों की संख्या सुसंगत नहीं रही। घरों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी सीधे एफएचटीसी की आपूर्ति और जेजेएम के अंतर्गत उपलब्धियों से जुड़ी हुई थी। एसएलएसएससी ने (मार्च 2023) में जेजेएम पोर्टल और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के बीच घरों की संख्या (13.81 लाख[32]) में अंतर पर भी चर्चा की, किन्तु नवम्बर 2024 तक राज्य पीएमयू द्वारा इसका मिलान नहीं किया गया।

---

31 एएपी 2020-21 में गुणवत्ता प्रभावित गांवों में कुल घरों की संख्या उपलब्ध नहीं.

32 जेजेएम: 62,02,675 तथा एसबीएम(जी): 48,21,197.

इस प्रकार, व्यापक स्तर की योजना विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित नहीं रही, जिससे सभी पात्र घरों को एफएचटीसी की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उत्तर में, विभाग ने (जुलाई 2025) में बताया कि जेजेएम के अंतर्गत 2024 तक राज्य की संतृप्ति हेतु पहले ही एक रोडमैप तैयार किया गया था और तदनुसार एफएचटीसी एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के लक्ष्य तय किए गए थे। जेजेएम की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाए जाने के पश्चात, विभाग ने (जनवरी 2025) में चल रही योजनाओं की पूर्णता और अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु संशोधित कार्य योजना तैयार की है। यह भी बताया गया कि जेजेएम पोर्टल और एसबीएम(जी) में घरों की संख्या के अंतर के मुद्दे को भारत सरकार के साथ समन्वय में संबोधित कर दिया गया है और इसे पूर्णतः सुलझा लिया जाएगा।

2.3.7 जल स्रोतों की संधारणीयता

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल स्रोतों की दीर्घकालिक योजना बनाई जानी आवश्यक थी। स्रोत संधारणीयता से यह सुनिश्चित होता है कि किसी जलापूर्ति योजना का संचालन उसकी डिज़ाइन अवधि तक निर्बाध रूप से हो सके। इसे वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण जैसे स्थिरता उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। भूजल-आधारित स्रोतों के मामले में, बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं को अनुमानों में सम्मिलित किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया किः

- एसडब्ल्यूएसएम ने (जून 2020) में संबंधित डीडब्लूएस अंचल के अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में स्रोत खोज समिति (एसएफसी) का गठन किया, जहाँ जेजेएम योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना था। इस समिति का कार्य था कि किसी जलापूर्ति योजना के प्रस्तावों को एसएलएसएससी को भेजने से पूर्व जल स्रोत की स्थिरता प्रमाणित करे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि अधीक्षण अभियंताओं ने 21 नमूना जाँचित एमवीएस की स्रोत स्थिरता को प्रमाणित किया था, किन्तु नमूना जाँचित 454 भूजल-आधारित एसवीएस के अनुमानों/प्रस्तावों के साथ ऐसे प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। एसवीएस के अनुमानों में बोरवेल पुनर्भरण की व्यवस्था का भी प्रावधान नहीं था।

- जेजेएम के अंतर्गत भूजल-आधारित एसवीएस की भंडारण क्षमता[33] के आधार पर विभिन्न गहराइयों[34] के विभिन्न मॉडल के एसवीएस, स्वीकृत किए गए थे। तथापि,

---

[33] मॉडल-1ए की भंडारण क्षमता 2,000 लीटर, मॉडल-1बी की भंडारण क्षमता 5,000 लीटर तथा मॉडल-2 की भंडारण क्षमता 8,000 लीटर थी।

[34] मॉडल-1ए तथा मॉडल-1बी सामान्यतः 60 मीटर बोर गहराई के साथ स्वीकृत किए गए थे तथा

खुदाई से पूर्व नमूना जाँचित प्रखंडों ने बोर स्थल की स्रोत संधारणीयता सुनिश्चित करने हेतु कोई वैज्ञानिक विधि[35] नहीं अपनाई। खुदाई किए गए बोर से जल प्रवाह की प्रतिवेदन भी प्रमंडलों द्वारा संवेदकों से प्राप्त नहीं की गई, ताकि उनकी संधारणीयता सत्यापित की जा सके। यह इंगित करता है कि सभी मॉडलों में केवल बोर की गहराई को ही स्थिरता का आधार माना गया। इसके परिणामस्वरूप, एसवीएस से जल का अपर्याप्त प्रवाह हुआ।

उत्तर में, विभाग ने (जुलाई 2025) में बताया कि एसवीएस स्रोतों की संधारणीयता के लिए उसने विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण किया है ताकि जल संरक्षण और बोरवेल पुनर्भरण हेतु अवसंरचना तैयार की जा सके, जैसे - वर्षा जल संचयन संरचनाएँ, चेक डैम, सिंचाई टैंक तथा नदियों और अन्य जल निकायों का पुनर्जीवन। सभी उपायुक्तों से भी अनुरोध किया गया है कि वे ग्रे-वॉटर प्रबंधन हेतु वर्षा जल संचयन प्रणाली और सोख्ता गड्ढे विकसित करें।

तथ्य यह है कि योजना स्तर पर एसवीएस की स्रोत संधारणीयता सुनिश्चित नहीं की गई, जिससे योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2.4 कार्यों का प्रापण

विभाग ने झारखण्ड में बारहमासी नदियों की सीमित संख्या के कारण एमवीएस के माध्यम से आच्छादित नहीं किए जा सकने वाले गाँवों में आच्छादित किए जाने वाले घरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए क्लस्टर/समूहों (एक ही क्लस्टर या समूह में कई एसवीएस) में एसवीएस[36] के विभिन्न मॉडलों को स्वीकृति प्रदान की।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नमूना जांच के लिए चुने गए छः जिलों में 21,339 योजनाएं[37] ₹7,127.80 करोड़ की अनुबंधित लागत पर शुरू की गई थीं, जिनसे 13,37,982 एफएचटीसी उपलब्ध कराना था। इनमें से 18,726 योजनाएं[38] सितंबर 2024 तक पूरी हो चुकी थीं और 6,26,793 एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा चुके थे। शेष 2,613 योजनाओं में से 1,842 योजनाएं निर्धारित समय सीमा (सितंबर 2024 से

मॉडल-2 को 90 मीटर बोर गहराई के साथ स्वीकृत किया गया था।

35 भूमिगत जल की उपलब्धता के संभावित स्थानों तथा जलभृतों (Aquifers) के पुनर्भरण के स्थानों का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद द्वारा हाइड्रो-जियो-मॉर्फोलॉजिकल मानचित्र तैयार किया गया है।

36 मॉडल 1ए जिसमें मौजूदा स्रोत की भण्डारण क्षमता 2,000 लीटर, मॉडल 1ए जिसमें नए स्रोत की भण्डारण क्षमता 2,000 लीटर, मॉडल 1बी जिसमें मौजूदा स्रोत की भण्डारण क्षमता 5,000 लीटर, मॉडल 1बी जिसमें नए स्रोत की भण्डारण क्षमता 5,000 लीटर और मॉडल 2 जिसमें 8,000 लीटर की भण्डारण क्षमता है।

37 एमवीएस: 103, एसवीएस: 21,236.

38 एमवीएस: 27, एसवीएस: 18,699.

पहले) की तुलना में चार से 59 महीने की विलंब से अपूर्ण थीं, जबकि 771 योजनाएं सितंबर 2024 के बाद पूर्ण होने वाली थीं।

लेखापरीक्षा में 20 एमवीएस और आठ क्लस्टरों/समूहों के 454 एसवीएस **(परिशिष्ट 2.1)** से संबंधित 28 एकरारनामों का विश्लेषण किया गया, जिनकी स्वीकृत राशि ₹ 2,342.10 करोड़ थी और जिनके लिए संवेदकों के साथ ₹ 2,016.24 करोड़ के एकरारनामे (नवंबर 2017 और जून 2023 के बीच) निष्पादित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, विभाग स्तर पर 39 निविदाओं **(परिशिष्ट 2.2)** की मूल्यांकन प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया। नमूना जांच किये गए कार्यों में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.4.1 निर्धारित समय सीमा के भीतर निविदाएँ जमा न करना

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (जेपीडब्ल्यूडी) संहिता के नियम 159 (क) के अनुसार, मात्रा विपत्र (बीओक्यू) की बिक्री के लिए सात से 14 दिन और बीओक्यू की बिक्री की अंतिम तिथि के बाद निविदा प्राप्त करने के लिए कार्य की निविदा लागत के आधार पर 14 से 18 दिन का समय दिया जाना था। इस प्रकार, ई-निविदा के मामले में, जहां बीओक्यू निविदा प्रकाशन की तिथि से ऑनलाइन उपलब्ध है, 21 से 42 दिन[39] का समय दिया जाना था। हालांकि, आपातकालीन स्थिति में, एसई की पूर्व स्वीकृति से आवश्यकतानुसार निर्धारित समय सीमा को कम किया जा सकता है।

39 निविदाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया के विश्लेषण **(परिशिष्ट 2.2)** से पता चला कि 36 निविदाओं (92 प्रतिशत) में निविदा जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया गया था। निर्धारित समय सीमा न देने के औचित्य सहित, एसई की आवश्यक स्वीकृति भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया। इन 36 निविदाओं का विवरण **तालिका 2.4.1** में दिया गया है।

[39] ₹ 2.50 लाख से ₹ 2.5 करोड़ की लागत वाले कार्य: 21 दिन, ₹ 2.5 करोड़ से ₹ 20 करोड़: 31 दिन, ₹ 20 करोड़ से ₹ 50 करोड़: 35 दिन और 50 करोड़ से अधिक: 42 दिन।

तालिका 2.4.1: निविदाओं को जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा नहीं देना

कार्य की निविदा लागत	कार्यों की संख्या	जेपीडब्ल्यूडी संहिता के अनुसार निर्धारित समय	एनआईटी के अनुसार समय सीमा की अनुमति	निविदा पर निर्णय लेने में लगने वाला समय	निर्णय के बाद एलओए जारी करने में लगने वाला समय
		(दिनों में)			
₹ 2.5 करोड़ से ₹ 20 करोड़ तक	18	31	5 से 10	26 से 156	3 से 32
	11		12 से 22	32 से 157	1 से 114
₹ 20 करोड़ से ₹ 50 करोड़ तक	4	35	5 से 18	32 से 154	3 से 31
₹ 50 करोड़ से अधिक	3	42	5 से 17	43 से 62	5 से 19
कुल	**36**				

तालिका 2.4.1 से यह देखा जा सकता है कि निर्धारित 31 से 42 दिनों के मुकाबले 36 निविदाओं को जमा करने के लिए केवल पाँच से 22 दिन ही दिए गए थे। हालांकि, विभाग ने इन निविदाओं पर निर्णय लेने में 26 से 157 दिन का समय लिया और सफल निविदाकारों को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी करने में 114 दिन तक का समय लगा, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इन कार्यों को पूरा करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी।

इसके अलावा, इन 39 निविदाओं में से तीन निविदाएं एकल निविदा थीं, 34 निविदाओं में केवल दो निविदाकार थे, और शेष दो निविदाओं में क्रमशः चार और पांच निविदाकार थे। एक या दो निविदाकारों वाली 37 निविदाओं को निविदा लागत के 0.5 प्रतिशत से 9.7 प्रतिशत अधिक दर पर निष्पादित किया गया। इसमें एसवीएस क्लस्टर की 26 निविदाएं शामिल थीं जिन्हें 4.5 प्रतिशत के एक समान अधिक दर पर निष्पादित किया गया था। शेष दो निविदाएं, जिनमें क्रमशः चार और पांच निविदाकार थे, निविदा लागत से क्रमशः 8.10 प्रतिशत और 14.64 प्रतिशत कम दर पर निष्पादित किया गया।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने (जुलाई 2025 में) बताया कि एसवीएस का प्रस्ताव अधिकतर उन बस्तियों में रखा गया था जो या तो वन क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थीं। निविदाकारों ने ऐसे क्षेत्रों से संबंधित निविदाओं में भाग लेने में कम रुचि दिखाई और परिणामस्वरूप, कई मामलों में, निविदा जमा करने के लिए कम समय के साथ बार-बार निविदाएं आमंत्रित की गईं।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जांचित दो प्रमंडलों (खूंटी और चक्रधरपुर) के 16 में से 12 निविदाएं पहली बार में ही अंतिम रूप दे दी गई थीं, जबकि चार निविदाएं दूसरी बार में अंतिम रूप दी गईं।

2.4.2 अयोग्य निविदाकारों को कार्य आवंटित करना

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि नमूना जांचित 39 निविदाओं में से सात निविदाएं (मार्च से जून 2023) एक संवेदक (एजेंसी डी[40]) को ₹ 54.05 करोड़ में विभागीय निविदा समिति (डीटीसी) द्वारा आवंटित की गई थीं। इसी संवेदक को (फरवरी 2022 से जुलाई 2023 के बीच) ₹ 94.07 करोड़ मूल्य की 13 अन्य निविदाएं भी आवंटित की गई थीं। इन सात निविदाओं के निविदा पत्रों के विश्लेषण से निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- निविदा की शर्तों के अनुसार, निविदाकार को पांच वित्तीय वर्षों के खाता बही को प्रस्तुत करना आवश्यक था और उसकी निविदा क्षमता का आकलन उसके द्वारा निष्पादित सिविल कार्यों के टर्नओवर के आधार पर किया जाना था। हालांकि, निविदाकार ने सभी सात निविदाओं में केवल दो वित्तीय वर्षों (अर्थात 2020-21 और 2021-22) के लिए पूर्ण लाभ-हानि (पीएल) खाते और तुलन-पत्र (बीएस) प्रस्तुत किए थे। शेष तीन वर्षों के लिए अपूर्ण लाभ-हानि खाते प्रस्तुत किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पीएल खाते में ₹ 56.04 करोड़ का सकल टर्नओवर दर्शाया गया, जिसमें ₹ 5.27 करोड़ के सिविल इंजीनियरिंग कार्य शामिल थे। हालांकि, निविदा क्षमता (₹ 72.46 करोड़ से ₹ 159.36 करोड़[41]) की गणना सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के मूल्य के बजाय सकल टर्नओवर के आधार पर की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा गणना के अनुसार, सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के मूल्य के आधार पर निविदा क्षमता ऋणात्मक (- ₹ 6.87 करोड़[42]) थी। इस प्रकार, निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा क्षमता न रखने वाले संवेदक को निविदा प्रदान की गई।

- किसी कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, तकनीकी कर्मियों (अभियंता आदि) और उपकरणों (ड्रिल मशीन आदि) की आवश्यकता का उल्लेख निविदा दस्तावेज में किया गया था। यह देखा गया कि संवेदक ने सभी सात निविदाओं में समान तकनीकी कर्मियों और उपकरणों की सूची प्रस्तुत की थी। इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि सभी सात निविदाओं को एक ही डीटीसी द्वारा निष्पादित किया गया था।

---

40 श्री साईं कंस्ट्रक्शन, रांची।

41 2021-22 में ₹56.03 करोड़ के सकल टर्नओवर को ध्यान में रखते हुए, जिसे 1.1 के गुणन कारक के साथ 2022-23 में ₹61.64 करोड़ के बराबर निकाला गया। निविदा क्षमता = 2 एएन - बी = (2 x ₹61.64 करोड़ x 1.5) - ₹25.56 करोड़ = ₹159.36 करोड़। जहाँ ए = पिछले पाँच सालों में किसी एक साल में किए गए कार्यों की अधिकतम मूल्य, जिसे गुणन कारक लागू करने वाले मूल्य स्तर पर अद्यतन किया गया है, एन = पूरा होने का समय, और बी = मौजूदा प्रतिबद्धताओ का मूल्य।

42 निविदा क्षमता = 2 एएन - बी = (2 x ₹ 5,79,51,006.30 x 0.75) - ₹ 15,56,00,000 = (-) ₹ 6,86,73,490.55 जहाँ ए = ₹ 5,26,82,733 x 1.1 (गुणन कारक), एन = 9 महीने (0.75 वर्ष) और बी = ₹ 15,56,00,000 (मौजूदा प्रतिबद्धताएँ)।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि इन 20 निविदाओं[43] के एकरारनामे (फरवरी 2022 और जुलाई 2023 के बीच) नवंबर 2022 और सितंबर 2024 के बीच कार्यों को पूरा करने के लिए किए गए थे। हालांकि, सितंबर 2024 तक 20 में से केवल तीन कार्य ही पूरे हुए थे। शेष 17 कार्य निर्धारित समापन तिथि से पांच से 22 महीने बीत जाने के बावजूद अपूर्ण (सितंबर 2024 तक) थे, जिनकी भौतिक प्रगति 23 से 98 प्रतिशत के बीच थी।

इस प्रकार, एक ऐसे संवेदक को कई निविदाएँ प्रदान की गईं जिसके पास निविदा शर्तों के अनुसार पर्याप्त निविदा क्षमता और संसाधन (मानवबल और उपकरण) नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप अंततः कार्य पूर्ण नहीं हो सके।

जवाब में, विभाग ने निविदा क्षमता की गलत गणना और संवेदक के पास उपलब्ध मानवबल और उपकरणों की क्षमता की अनदेखी पर मौन रहते हुए (जुलाई 2025) कहा कि संवेदकों को आवंटित कार्यों की मात्रा के अनुसार आवश्यक मानवबल नियुक्त करने थे।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए निविदाओं को निष्पादित करने से पहले संवेदक की तकनीकी और वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन किया जाना था।

2.4.3 निविदा मूल्यांकन में पारदर्शिता का अभाव

39 निविदाओं की जांच में **मिलीभगत वाली निविदा** और चक्रानुक्रम निविदा के मामले सामने आए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- दो प्रमंडलों [44] के एसवीएस क्लस्टरों के कार्यों से संबंधित ₹38.62 करोड़ मूल्य की पांच निविदाओं में केवल दो संवेदकों (संवेदक एक्स[45] और संवेदक वाई[46]) ने भाग (नवंबर 2021 से मई 2022 तक) लिया। इनमें से तीन निविदाएं[47] एक प्रमंडल (चक्रधरपुर) में संवेदक एक्स को ₹23.04 करोड़ में प्रदान (अगस्त 2022) की गई, जबकि अन्य दो निविदाएं[48] दूसरे प्रमंडल (चाईबासा) में संवेदक वाई को ₹17.32 करोड़ में प्रदान (जनवरी से जून 2022) की गई। दो एमवीएस (एक गढ़वा में और एक जमशेदपुर में) से संबंधित निविदाएं संवेदक एक्स और संवेदक वाई के संयुक्त उद्यम (जेवी) को ₹89.65 करोड़ में प्रदान (अगस्त 2021 और दिसंबर 2022) की गईं।

---

[43] सात नमूना जांचित निविदा और 13 अन्य निविदा जो संवेदक को दी गईं।

[44] चक्रधरपुर और चाईबासा।

[45] मेसर्स प्रीति इंटरप्राइजेज, बोकारो।

[46] मेसर्स आदित्य आरव देव कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमीटेड, धनबाद।

[47] क्लस्टर 4ए, क्लस्टर 4बी और क्लस्टर 6सी.

[48] क्लस्टर 9ए और क्लस्टर 11ए.

संवेदक एक्स या उसके संयुक्त उद्यम (जिसमें संवेदक एक्स की अधिकतम हिस्सेदारी थी) ने चक्रधरपुर प्रमंडल के ₹25.98 करोड़ मूल्य के चार अन्य एसवीएस क्लस्टरों की निविदाओं में भी एक अन्य संवेदक (संवेदक जेड[49] या उसके संयुक्त उद्यम) के साथ भाग (दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में) लिया था। इनमें से तीन निविदाएं[50] संवेदक एक्स या उसके संयुक्त उद्यम को ₹21.13 करोड़ में प्रदान (अप्रैल और जुलाई 2022) की गईं और शेष एक निविदा (क्लस्टर 6 ए) संवेदक जेड के संयुक्त उद्यम को ₹6.02 करोड़ में प्रदान (अगस्त 2022) की गई।

इस प्रकार, संवेदकों को विशिष्ट प्रमंडलों के लिए या तो अलग-अलग या उनके संयुक्त उद्यमों के माध्यम से निविदाएं प्रदान की गईं। अतः इन निविदाओं में मिलीभगतपूर्ण निविदा[51] की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

- यह पाया गया कि एसवीएस क्लस्टरों से संबंधित दो प्रमंडलों (रांची पूर्व और खूंटी) की 11 निविदाओं (जिनका मूल्य ₹ 74.08 करोड़ था) में केवल दो संवेदकों (संवेदक एम[52] और संवेदक एन[53]) ने भाग (नवंबर और दिसंबर 2021) लिया। इनमें से नौ निविदाएं[54] संवेदक एम को ₹60.50 करोड़ में प्रदान (जनवरी और मई 2022) की गईं, जबकि रांची पूर्व प्रमंडल की शेष दो निविदाएं (क्लस्टर 5ए और 8बी) संवेदक एन को ₹16.62 करोड़ में प्रदान (मार्च 2022) की गईं।

जांच में आगे पता चला कि संवेदक एम ने दोनों निविदाकारों के लिए 11 में से 10 निविदाओं के लिए बीओक्यू की लागत के लिए डिमांड ड्राफ्ट खरीदे थे, जबकि एजेंसी एन ने शेष एक निविदा के लिए दोनों निविदाकारों के लिए डिमांड ड्राफ्ट खरीदे थे।

प्रतिस्पर्धियों के लिए डिमांड ड्राफ्ट की खरीद से इन संवेदकों द्वारा निविदाओं में हेरफेर[55] या मिलीभगत से बोली लगाने की संभावना का संकेत मिलता है।

---

[49] मेसर्स मोसस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, लोहरदगा।

[50] क्लस्टर 6बी, क्लस्टर 12ए और क्लस्टर 12सी.

[51] मिलीभगतपूर्ण निविदा/व्यापारिक गठबंधन बनाना, व्यापारिक गठबंधन सदस्यों का मुनाफा बढ़ाने के लिए प्रतिद्वंदिता का भ्रम पैदा करता है। निविदाकार एक साथ मिलकर दर में हेरफेर करते हैं। व्यापारिक गठबंधन आपसी सहमति से बोली जीतने की संभावना, पसंदीदा जगह पर बोली लगाने, ज़्यादा/अप्रतियोगी और सबसे कम दर बताकर निविदित दर बढ़ाने का फैसला करता है।

[52] श्री सरोज नारायण प्रसाद सिंह, नालंदा, बिहार।

[53] श्री समीर सौरव, नालंदा, बिहार।

[54] (i) खूंटी प्रमंडल के सभी सात निविदाए (क्लस्टर 8ए, 8बी, 9ए, 9बी, 10ए, 10बी और 11ए) और (ii) रांची प्रमंडल के चार निविदा में से दो (क्लस्टर 3ए और 3बी)।

[55] निविदाकारों के बीच चक्रानुक्रम आधार पर निविदा पाने का एक व्यवस्था, जिसमें पहले से तय हो कि किस निविदाकार को कौन सा निविदा मिलेगा।

- एसबीडी (निविदाकारों के लिए निर्देश) के खंड 4.5.बी (बी) के अनुसार, प्रत्येक निविदाकार को प्रत्येक योजना के लिए अनुभवी प्रमुख कर्मियों[56] की उपलब्धता प्रदर्शित करनी होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसवीएस क्लस्टरों से संबंधित 15 निविदाएं तीन[57] अलग-अलग प्रमंडलों के अधिकार क्षेत्र में दो संवेदकों (संवेदक एम को नौ और संवेदक एक्स को छः) को आवंटित (जनवरी 2022 से अगस्त 2022 के बीच) की गईं। इसके अलावा, सभी आवंटित कार्यों को नौ महीनों (अक्टूबर 2022 से मई 2023 के बीच) में पूरा किया जाना था, इसलिए निर्धारित समय के अंदर पूरा करने के लिए प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग मानव संसाधन तैनात किए जाने आवश्यक थे। हालांकि, यह देखा गया कि इन संवेदकों ने अपने सभी आवंटित निविदाओं में एक ही मानव संसाधन/प्रमुख कर्मियों का विवरण प्रस्तुत किया था। डीटीसी द्वारा इस पहलू पर विधिवत विचार नहीं किया गया और एक ही संवेदक को विभिन्न प्रमंडलों में कई कार्य आवंटित किए गए। संवेदक के पास पर्याप्त मानव संसाधन की कमी के कारण सितंबर 2024 तक 15 में से 8 कार्यों के पूरा होने में 15 से 21 महीने की विलंब हुई।

इस प्रकार, डीटीसी ने एक ही संवेदक को कई कार्य देने से पहले उनके पास उपलब्ध तकनीकी मानव संसाधन के संबंध में संवेदकों की क्षमता की जांच नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों में विलंब हुई या वे पूरे नहीं हुए।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि निविदा दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार निविदा क्षमता और अन्य संबंधित मुद्दों के मूल्यांकन के बाद सक्षम अधिकारियों द्वारा निविदाओं पर निर्णय लिया गया था। यह भी कहा गया कि निविदा को अंतिम रूप देने में एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई थी और निविदा में हेराफेरी, निविदा में फेरबदल या मिलीभगत से बोली लगाने का कोई सवाल ही नहीं था।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोली लगाने का तरीका, दरों का प्रस्ताव और निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत प्रमुख कर्मियों के दस्तावेज मिलीभगत से बोली लगाने/बोली में फेरबदल की ओर इशारा करते हैं।

2.4.4. कार्यों के कार्यान्वयन में अनियमितताएँ

लेखापरीक्षा में अधिक भुगतान, मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली न होना, मूल्य भिन्नता का अनियमित भुगतान, निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली न होना और कार्य के कार्यान्वयन में देरी के मामले भी सामने आए, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

---

[56] प्रोजेक्ट मैनेजर: 1, साइट इंजीनियर: 1, साइट सुपरवाइज़र: 2, सुपरवाइज़र: 1 और सोशल मोबिलाइज़र: 1

[57] चक्रधरपुर: 6, खूंटी: 7 और रांची पूर्वी: 2.

- एकरारनामा की भुगतान अनुसूची के अनुसार, संवेदक को डीआई पाइपों की आपूर्ति और बिछाने के बाद उनकी लागत का 85 प्रतिशत और परियोजना के चालू होने के बाद शेष 15 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। इसके अलावा, एकरारनामा के खंड 39 और 40 के अनुसार, संवेदक को अभियंता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अद्यतन कार्य योजना में सभी विचलनों को शामिल करना आवश्यक था।

जगन्नाथपुर ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना (आरपीडब्ल्यूएसएस) को अप्रैल 2023 में चाईबासा प्रमंडल के अंतर्गत ₹118.60 करोड़ की अनुबंधित लागत पर जगन्नाथपुर प्रखण्ड के 54 गाँवों में 13,072 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना जुलाई 2025 तक पूरी होनी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि संवेदक को डीआई पाइपों की आपूर्ति और बिछाने के बाद 100 प्रतिशत लागत (₹ 34.05 करोड़) का भुगतान (मार्च 2024 तक) किया गया था, जबकि यह राशि 85 प्रतिशत (₹ 28.94 करोड़) होनी चाहिए थी, क्योंकि सितंबर 2024 तक योजना का भौतिक कार्य 48 प्रतिशत ही पूरा हुआ था और इसे चालू नहीं किया गया था। इसके अलावा, बिना किसी विचलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किए या आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए संवेदक को अतिरिक्त वितरण पाईपलाइनों (150 और 300 मिमी व्यास) बिछाने के लिए ₹ 2.75 करोड़ का भुगतान किया गया था, जो कि अनुबंधित मात्रा से अधिक (32 से 154 प्रतिशत के बीच) थीं। इस प्रकार, संवेदक को डीआई पाइपों की लागत के लिए ₹ 5.11 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान किया गया और एकरारित मात्रा से अधिक हुए विचलन के विरुद्ध ₹ 2.75 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान किया गया।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) बताया कि काम प्रगति पर है और अस्वीकार्य भुगतान संवेदक के भविष्य के चालू खाता विपत्रों से समायोजित किया जाएगा।

- चाईबासा प्रमंडल के अंतर्गत चाईबासा प्रखण्ड के 52 गाँवों को 17,963 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए ऐता और पुराना चाईबासा, दो आरपीडब्ल्यूएसएस योजनाएं ₹ 94.03 करोड़ की अनुबंधित लागत पर शुरू (फरवरी 2019) की गईं। कार्य फरवरी 2022 तक पूरा होना था। संवेदक को पाईप की लागत देय राशि ₹ 12.69 करोड़ (85 प्रतिशत) के बजाय ₹ 13.81 करोड़ का भुगतान (सितंबर 2024 तक) किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं को चालू किए बिना ₹ 1.12 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान हुआ। सितंबर 2024 तक, योजनाओं की भौतिक प्रगति 30 प्रतिशत (ऐता आरपीडब्ल्यूएसएस) और 60 प्रतिशत (पुराना चाईबासा आरपीडब्ल्यूएसएस) थी।

इसके अलावा, एकरारनामा के खंड 51 के अनुसार, संवेदक को संसाधनों के जुटाव के लिए एकरारित मूल्य का 10 प्रतिशत मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में दिया जाना था। मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली संवेदक को किए गए अंतरिम भुगतानों से निर्धारित समापन तिथि के भीतर की जानी थी।

प्रमंडल ने संवेदक को उपकरण खरीद या संसाधन जुटाने के समर्थन में चालान या अन्य दस्तावेज़ मांगे बिना ही ₹ 9.40 करोड़ का अग्रिम (जून 2019 और जुलाई 2019 के बीच) दे दिया था। सितंबर 2024 तक, निर्धारित समय सीमा (फरवरी 2022) तक केवल ₹ 1.61 करोड़ ही वसूल किए जा सके, जबकि ₹ 7.79 करोड़ की वसूली लंबित थी। इन योजनाओं के सितम्बर 2024 तक अधूरा रहने का मुख्य कारण था, आवश्यक जनशक्ति की तैनाती न होने, संवेदक द्वारा धीमी गति से काम करने[58], विभिन्न घटकों के डिज़ाइन और रेखाचित्रों को प्रस्तुत करने/मंजूरी में विलंब (सितंबर 2024 तक), ऐता आरपीडब्ल्यूएसएस के जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) के लिए स्थल उपलब्ध कराने में विलंब (अक्टूबर 2023) और पाईपलाइन बिछाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी[59]) प्राप्त करने में देरी। यह भी देखा गया कि विभाग ने संवेदक को अनुस्मारक जारी करने के अलावा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि संबंधित कार्यपालक अभियंता को संवेदक के अगले चालू खाता विपत्र से राशि वसूल करने का निर्देश दिया गया था।

- विभाग ने चाईबासा प्रमंडल के 283 गाँवों को अच्छादित करने के लिए ₹ 214.05 करोड़ की लागत से 12 एसवीएस क्लस्टर (कुल 2,481 एसवीएस) स्वीकृत (नवंबर 2021) किए, जिनमें 66,301 एफएचटीसी शामिल थे। नौ महीने के भीतर कार्यों को पूरा करने के लिए ₹ 216.89 करोड़ की लागत से 30 एकरारनामे किए गए (फरवरी 2022 और मई 2023)। सितंबर 2024 तक, 2,481 एसवीएस (विभिन्न क्लस्टरों में) में से 2,303 एसवीएस ₹ 155.34 करोड़ की लागत से पूरे हो चुके थे, जिनके माध्यम से 56,719 एफएचटीसी उपलब्ध कराए गए थे।

30 एकरारनामों में से तीन[60] एकरारनामों (जो एक क्लस्टर के लिए फरवरी और अगस्त 2022 के बीच निष्पादित किए गए थे) जिनकी कीमत ₹ 19.98 करोड़ थी, की जांच से पता चला कि सितंबर 2024 तक एक एकरारनामा (उप-क्लस्टर 11बी जिसमें 77 एसवीएस और 4,016 एफएचटीसी का प्रावधान था) के तहत कोई काम नहीं किया गया था। शेष दो एकरारनामों में, ईई/एसई द्वारा निष्पादन के दौरान स्वीकृत एसवीएस के मॉडल और संख्या में परिवर्तन किए गए थे, जैसा कि **तालिका 2.4.2** में दिखाया गया है।

---

[58] कार्यपालक अभियंता ने (जून 2020 से फरवरी 2024 तक) ठेकेदार को पिछले छह से 12 महीनों से इनटेक वेल, एलिवेटेड सर्विस रिज़र्वॉयर, पाइप बिछाने जैसे अवयवों के धीमे काम और कुछ भाग/स्थलों पर काम न होने के बारे में स्मरण दिलाया।

[59] पाइपलाइन बिछाने के लिए रेलवे और रोड से और ऐता आरपीडब्ल्यूएसएस के डब्ल्यूटीपी बनाने के लिए जल संसाधन विभाग से एनओसी सितंबर 2024 तक लंबित थीं।

[60] चाईबासा प्रमंडल के क्लस्टर 11 ए : 7 एसबीडी/2021-22 के लिए ₹7.21 करोड़, क्लस्टर 11 बी: 2 एसबीड /2021-22 के लिए ₹7.48 करोड़ और क्लस्टर 11 सी: 9 एसबीडी/2022-23 के लिए ₹5.29 करोड़ नवंबर 2021 में स्वीकृत हुए।

तालिका 2.4.2: कार्यान्वयन के दौरान परिवर्तित किए गए मॉडल और एसवीएस की संख्या का विवरण

उप-क्लस्टर	एसवीएस के स्वीकृत मॉडल और निष्पादित एकरारनामे				निर्मित मॉडल		
	मॉडल	संख्या	भंडारण क्षमता (लीटर में)	अधिकतम एफएचटीसी उपलब्ध करने योग्य	संख्या	निर्मित भंडारण क्षमता	एफएचटीसी
11 ए	1 ए स्रोत के साथ	11	22,000	110	शून्य	शून्य	शून्य
	1 बी स्रोत के साथ	39	1,95,000	780	53	2,65,000	1,060
	1 बी बिना स्रोत के	शून्य	शून्य	शून्य	2	10,000	40
	नमूना 2 (स्रोत के साथ)	31	2,48,000	1,240	शून्य	शून्य	शून्य
	उप योग	**81**	**4,65,000**	**2,130**	**55**	**2,75,000**	**1,100**
11 सी	1 ए स्रोत के साथ	15	30,000	150	3	6,000	30
	1 ए बिना स्रोत के	1	2,000	10	शून्य	शून्य	शून्य
	1 बी स्रोत के साथ	11	55,000	220	43	2,15,000	860
	1 बी बिना स्रोत के	5	25,000	100	12	60,000	240
	मॉडल 2 (स्रोत के साथ)	29	2,32,000	1,160	13	1,04,000	520
	उप योग	**61**	**3,44,000**	**1,640**	**71**	**3,85,000**	**1,650**
	कुल योग	**142**	**8,09,000**	**3,770**	**126**	**6,60,000**	**2,750**

तालिका 2.4.2 से यह देखा जा सकता है कि स्वीकृत एसवीएस से 8.09 लाख लीटर भंडारण क्षमता का निर्माण होना था, जिससे अधिकतम 3,770 एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सकें। हालांकि, एसवीएस के मॉडल और संख्या में परिवर्तन के कारण, केवल 6.60 लाख लीटर भंडारण क्षमता का निर्माण हो सका, जो अधिकतम 2,750 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए ही पर्याप्त था।

गाँव/बस्ती में अनाच्छादित परिवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एसवीएस के मॉडल स्वीकृत किए गए थे, इसलिए इन परिवर्तनों से लक्षित परिवारों के आच्छादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि एसवीएस योजनाएँ एकरारनामे के अनुसार कार्यान्वित की गईं, लेकिन सभी लाभार्थियों को एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए स्थलीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ मॉडलों में बदलाव किए गए थे।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्मित भंडारण क्षमता परिकल्पित क्षमता से कम थी, जिससे अंततः परिवारों का आच्छादन कम होगा।

- विभाग ने चाईबासा प्रमंडल के अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम जिले के 25 गाँवों में 3,470 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए ₹ 13.35 करोड़ की लागत से 132 एसवीएस (25 समूहों में) स्वीकृत (2021-23) किए। प्रमंडल ने (फरवरी 2021 और मई 2023 के बीच) इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹ 13 करोड़ मूल्य के 25 अनुबंध

निष्पादित किए। सितंबर 2024 तक, इन एसवीएस में 3,466 एफएचटीसी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और संवेदकों को ₹ 9.66 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था।

- 25 एकरारनामों में से तीन[61] की जांच से पता चला कि दो एकरारनामों (14 और 21 एफ 2) के तहत 17 एसवीएस से 409 एफएचटीसी उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि, मॉडल 1 ए और 1 बी के 10 एसवीएस से 166 एफएचटीसी उपलब्ध कराए गए थे, जबकि इन्हें अधिकतम 140 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह भी देखा गया कि मॉडल 2 के सात एसवीएस से केवल 243 एफएचटीसी उपलब्ध कराए गए थे, जबकि इन्हें 280 एफएचटीसी तक उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस प्रकार, एसवीएस की क्षमता पर विचार किए बिना परिवारों को एफएचटीसी उपलब्ध कराए गए, जिससे लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी, जैसा कि **तालिका 2.4.3** में दिखाया गया है।

तालिका 2.4.3: एसवीएस द्वारा परिवारों को प्रदान किए गए एफएचटीसी का विवरण

एकरारनामा संख्या	एसवीएस का मॉडल	निर्मित एसवीएस की संख्या	उपलब्ध कराने योग्य अधिकतम एफएचटीसी	एफएचटीसी प्रदान किया गया
14 एफ2/2023-24	मॉडल 1 ए	3	30	31
	मॉडल 1 ए	3	30	43
	मॉडल 1 बी	1	20	25
21 एफ2/2023-24	मॉडल 1बी	3	60	67
	उप योग	10	**140**	**166**
14 एफ 2/2023-24	मॉडल 2	5	200	175
21 एफ 2/2023-24	मॉडल 2	2	80	68
	उप योग	**7**	**280**	**243**
	कुल योग	**17**	**420**	**409**

- एक एकरारनामा (2 एफ2) के तहत, स्वीकृत बस्तियों से भिन्न चार बस्तियों[62] में मॉडल 2 के छः एसवीएस का निर्माण किया गया। इसके अलावा, यह देखा गया कि स्वीकृत दो एसवीएस (मॉडल 1 बी और मॉडल 2 में से एक-एक) के स्थान पर बुरुबोर्ता खास में मॉडल 1 ए का एक एसवीएस बनाया गया।

- एक अन्य एकरारनामा (14 एफ2) के तहत, स्वीकृत मॉडल 2 के एसवीएस के स्थान पर लोवासई में मॉडल 1 ए का एक एसवीएस बनाया गया।

इस प्रकार, एसवीएस के मॉडल या स्थान में विचलन के कारण, लक्षित ग्रामीण परिवारों को योजना और स्वीकृति के अनुसार एफएचटीसी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

---

[61] एकरारनामा संख्या 2, 14 और 21 एफ2/2022-23 अप्रैल और मई 2023 में ₹ 2.56 करोड़ में निष्पादित किए गए।

[62] स्वीकृत बुरुबोर्ता खास, उलिपि, मुंडासाई, सिरकापी और योधाट्टू की जगह बोटांगहातु-1, हेसापी-2, तोलासाई-1 और तोतांग-2।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि कार्य स्थल की स्थितियों के अनुसार और आस-पास की बस्तियों को आच्छादित करने के लिए कार्य किया गया था।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसवीएस के मॉडल या स्थान में परिवर्तन के लिए आवश्यक एसएलएससीसी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

- खारियोडीह आरडब्ल्यूएसएस योजना को प्रारंभ में राज्य योजना के तहत स्वीकृत (जून 2018) किया गया था और ₹18.35 करोड़ की अनुबंधित मूल्य पर कार्य शुरू (जून 2019) किया गया था, जिसे जून 2021 तक पूरा किया जाना था। बाद में, इस कार्य को जेजेएम (जून 2020) के अंतर्गत लाया गया और झुमरीतिलैया प्रमंडल के अंतर्गत कोडरमा जिले के जयनगर प्रखण्ड के 16 गाँवों में 4,075 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए ₹16.25 करोड़ स्वीकृत किए गए। कार्य की धीमी प्रगति के कारण मुख्य अभियंता, केंद्रीय निरूपण संगठन (सीडीओ) के द्वारा संवेदक को विभाग की किसी भी निविदा में भाग लेने से छः महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया (अप्रैल 2021)। इसके बावजूद, संवेदक ने काम में तेजी नहीं लाया और अंततः जुलाई 2024 में उसका अनुबंध रद्द कर दिया गया। सितंबर 2024 तक, किए गए काम का अंतिम माप नहीं किया गया था और संवेदक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। संवेदक को 31 प्रतिशत[63] की भौतिक प्रगति के साथ ₹1.98 करोड़ के निष्पादित कार्य के बदले ₹1.88 करोड़ का भुगतान (मार्च 2024 तक) किया जा चुका था। इस प्रकार, संवेदक के खिलाफ समय पर कार्रवाई न करने और शेष बचे कार्य को शुरू न करने के कारण योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025 में) कहा कि संवेदक निर्धारित समापन तिथि के तीन साल बाद भी काम पूरा नहीं कर सका, इसलिए अनुबंध रद्द कर दिया गया और संवेदक को काली सूची में डाल दिया गया। यह भी कहा गया कि अब काम का अंतिम माप कर लिया गया है, शेष बचे कार्य का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है और प्रशासनिक स्वीकृति मिलने पर इसे शुरू किया जाएगा।

- झुमरीतिलैया प्रमंडल के अंतर्गत 30,390 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए कोडरमा-डोमचांच-जयनगर मेगा आरडब्ल्यूएसएस योजना के लिए ₹ 214.41 करोड़ की राशि स्वीकृत (जनवरी 2023) की गई। कार्य ₹ 217.91 करोड़ की अनुबंधित लागत पर शुरू (मार्च 2023) किया गया और इसे जून 2025 तक पूरा किया जाना था। कार्य के दौरान, संवेदक द्वारा निर्मित एक एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर (ईएसआर) जून 2024 में ढह गया। अधीक्षण अभियंता, डीडब्ल्यूएस, हजारीबाग अंचल ने जून 2024 में

[63] डब्लूटीपी, इनटेक वेल और तीन ईएसआर का काम 10 से 65 प्रतिशत के बीच रहा। अनुबंधित 48.32 किमी में से 1.91 किमी पाइपलाइन बिछाई गई।

प्रतिवेदन दी कि स्वीकृत रेखाचित्र और डिजाइन का पालन न करना और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित न करना ईएसआर के ढहने के कारण थे। जुलाई 2024 में अनुबंध रद्द कर दिया गया था। फरवरी 2024 तक, संवेदक को ₹26.49 करोड़ के निष्पादित कार्य के बदले ₹25 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। कार्य की भौतिक प्रगति 16 प्रतिशत थी।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025 में) बताया कि कार्य का अंतिम माप ले लिया गया है और शेष कार्य का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। यह भी बताया गया कि प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद शेष कार्य के लिए नए निविदा आमंत्रित किए जाएंगे।

- झुमरीतिलैया प्रमंडल के अंतर्गत 4,055 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए ₹24.66 करोड़ की अनुबंधित लागत पर कटिया-माधोपुर आरडब्ल्यूएसएस योजना शुरू (मार्च 2022) की गई थी और इसे मार्च 2024 तक पूरा किया जाना था। यह देखा गया कि संवेदक को ₹19.09 करोड़ के निष्पादित कार्य के बदले ₹17.36 करोड़ का भुगतान (मार्च 2024 तक) किया गया था जिसमें ₹1.94 करोड़ (पाईप कार्य का 100 प्रतिशत) का अस्वीकार्य भुगतान शामिल था, जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार योजना के चालू होने को सुनिश्चित किए बिना पाइपों की आपूर्ति और बिछाने के लिए किया गया था। इसके अलावा, कार्य निष्पादन में विलंब के लिए संवेदक से ₹2.47 करोड़ का क्षतिपूर्ति भी वसूल नहीं किया गया था। अक्टूबर 2024 तक कार्य अपूर्ण था।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि भुगतान अनुसूची के अनुसार भुगतान किए गए थे।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पाइपों की आपूर्ति और बिछाने के लिए 100 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका था, जबकि 15 प्रतिशत भुगतान योजना के चालू होने के बाद ही जारी किया जाना था। इसके अलावा, कार्यों के निष्पादन में देरी के लिए लागू क्षतिपूर्ति राशि भी वसूल नहीं की गई।

- खूंटी प्रमंडल के अंतर्गत उलिहातु और आसपास के गाँवों के लिए आरपीडब्ल्यूएएसएस योजना में ₹15.45 करोड़ की अनुबंधित लागत पर शुरू (अगस्त 2022) की गई थी और इसे अगस्त 2024 तक पूरा किया जाना था। अगस्त 2024 तक, काम अपूर्ण था, जिसकी कुल भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत थी और संवेदक को ₹12.26 करोड़ के निष्पादित कार्य मूल्य के बदले ₹11.82 करोड़ का भुगतान (नवंबर 2023 तक) किया जा चुका था। अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 के दौरान डीआई पाइपों की लागत में कमी के बावजूद डिवीजन ने मूल्य समायोजन[64] की गणना

[64] एसबीडी अनुबंध के खंड 47.1 में यह प्रावधान है कि सामग्री की दरों एवं कीमतों में वृद्धि या कमी होने की स्थिति में अनुबंध मूल्य में तदनुसार समायोजन किया जाएगा।

नहीं की थी। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई ₹41.01 लाख **(परिशिष्ट 2.3)** की राशि मूल्य भिन्नता के कारण समायोजित नहीं की गई थी।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) में कहा कि लागू मूल्य समायोजन राशि की गणना की जा रही है और संवेदक को देय भुगतान से इसकी वसूली की जाएगी।

- हजारीबाग प्रमंडल के अंतर्गत केरेडारी प्रखण्ड के सात गाँवों में 2,519 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए ₹12.75 करोड़ की अनुबंधित लागत पर पचरा आरपीडब्ल्यूएएसएस शुरू (जुलाई 2021) की गई थी, जिसे जुलाई 2023 तक पूरा किया जाना था। यह योजना (अक्टूबर 2024) पूरी हो गई थी और संवेदक को (जुलाई 2024 तक) ₹15.20 करोड़ के निष्पादित कार्य मूल्य के बदले ₹10.47 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। इस भुगतान में स्वीकृत बीओक्यू के दो मदों की मात्रा में अदला-बदली[65] के कारण ₹94.75 लाख का अधिक भुगतान **(परिशिष्ट 2.4)** शामिल था, जिसे निविदा को अंतिम रूप देते समय, अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय या विपत्र तैयार करते समय ठीक नहीं किया गया था।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) आश्वासन दिया कि अधिक भुगतान संवेदक के आगामी विपत्रों से वसूल किया जाएगा।

- धनबाद जिले के दो प्रखंडों (गोविन्दपुर और निरसा) के 439 गाँवों के 1,27,363 घरों को जल-संयोजन उपलब्ध कराने के लिए धनबाद - I प्रमंडल द्वारा दो सतही जल आधारित आरपीडब्ल्यूएसएस परियोजनाएं शुरू (अक्टूबर 2017) की गई थीं, जिनकी अनुबंधित लागत ₹522.40 करोड़[66] थी। इन योजनाओं को जुलाई 2020 तक पूरा किया जाना था। निर्धारित समय सीमा से 19 महीने बाद कार्य की भौतिक प्रगति लगभग 50 प्रतिशत थी और संवेदकों को ₹158.50 करोड़[67] का भुगतान (अक्टूबर 2021 तक) किया जा चुका था। इसके बाद, यह देखा गया कि विभाग ने दोनों योजनाओं के अनुबंध रद्द (मार्च 2022) कर दिए क्योंकि संवेदकों ने कार्यों के निष्पादन में समय सारणी का पालन नहीं किया था।

योजना के शेष बचे काम को मार्च 2026 तक पूरा करने के लिए ₹ 644.75 करोड़[68] के दो नए अनुबंध (दिसंबर 2023) किए गए। लेकिन, सितंबर 2024 तक काम शुरू होना बाकी था। यह तब हुआ जब एक योजना (गोविंदपुर निरसा उत्तरी) के संवेदक को जनवरी 2024 में ₹42.78 करोड़ का मोबिलाइज़ेशन अग्रिम दिया गया था।

---

[65] एमडीपीई पाइप का प्रकल्पित दर ₹23 प्रति मीटर था, जबकि जीएम फेरूल के दर ₹497.31 प्रति इकाई था। मदों में बदलाव के कारण, एमडीपीई पाइप के लिए तय दर ₹400 प्रति मीटर और जीएम फेरूल के लिए ₹24 प्रति इकाई माना गया।

[66] गोविंदपुर निरसा उत्तरी: ₹334.95 करोड़ और गोविंदपुर निरसा दक्षिणी: ₹187.45 करोड़।

[67] गोविंदपुर निरसा उत्तरी: ₹105.64 करोड़ और गोविंदपुर निरसा दक्षिणी: ₹52.86 करोड़।

[68] गोविंदपुर निरसा उत्तरी: ₹427.79 करोड़ और गोविंदपुर निरसा दक्षिणी: ₹216.96 करोड़।

इस बीच, जेजेएम के अंतर्गत 292 एसवीएस (92 समूहों में) को ₹23.53 करोड़ की अनुबंधित लागत पर शुरू (जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के बीच) किया गया, ताकि 92 गाँवों में 6,635 एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सकें, जिन्हें दो अपूर्ण आरपीडब्ल्यूएसएस के द्वारा आच्छादित किया जाना था। सितंबर 2024 तक, 292 में से 280 एसवीएस पूरे हो चुके थे और संवेदकों को ₹ 17.02 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। इस प्रकार, उन गाँवों में एसवीएस स्वीकृत और निर्मित किए गए थे जो आरपीडब्ल्यूएसएस के अंतर्गत आने वाले थे। इसके अतिरिक्त, आरपीडब्ल्यूएसएस के निर्माण में विलंब के कारण ₹ 280.85 करोड़[69] की लागत में वृद्धि हुई।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025 में) कहा कि आरपीडब्ल्यूएसएस का काम प्रगति पर है और प्रत्येक भुगतान से आवश्यकतानुसार मोबिलाइजेशन अग्रिम वसूल किया जा रहा था। यह भी कहा गया कि लागत में वृद्धि नई दर अनुसूची (एसओआर) की दरों में वृद्धि के कारण हुई है और शेष बचे कार्यों के लिए मात्रा-विपत्र (बीओक्यू) को नई एसओआर पर अनुमोदित किया गया था।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि आरपीडब्ल्यूएसएस अक्टूबर 2017 में शुरू होने के बाद से पांच साल से अधिक समय से अपूर्ण है, जिसके परिणामस्वरूप एसवीएस का काम शुरू करना पड़ा।

- चक्रधरपुर प्रमंडल के अंतर्गत पोराहाट आरपीडब्ल्यूएसएस (एमवीएस) योजना ₹58.82 करोड़ की अनुबंधित लागत पर फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और इसे मई 2021 तक पूरा किया जाना था। आरपीडब्ल्यूएसएस में सोनुआ ब्लॉक के नमूना-जांच किये गए गाँवों में से एक (नवागाँव) को शामिल किया जाना था। योजना अगस्त 2024 तक भी अपूर्ण रही, जबकि ₹57.92 करोड़ का व्यय किया जा चुका था। इसका कारण यह था कि पीडब्लूडी सड़क के किनारे पाईप बिछाने के लिए सड़क निर्माण विभाग से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब हुआ तथा कुछ हिस्सों में अतिक्रमण था।

आरपीडब्ल्यूएस की समस्याओं को हल करने के बजाय, जेजेएम के अंतर्गत ₹77.60 लाख की अनुबंधित लागत पर 11 एसवीएस योजनाएं शुरू (अप्रैल 2023) की गईं, जिनका उद्देश्य कुल 284 घरों वाले गाँव में 245 एफएचटीसी उपलब्ध कराना था। अगस्त 2024 तक, ₹71 लाख के व्यय के बाद एसवीएस का कार्य प्रगति पर था। माप पुस्तिकाओं के अनुसार, 32,000 लीटर भंडारण क्षमता वाली 10 एसवीएस से 222 घरों को जलसंयोजन दिए जा चुके थे, जबकि इन एसवीएस को उनकी भंडारण क्षमता के आधार पर 140 घरों को जलसंयोजन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया

[69] मुल अनुबंध के अलावा ₹122.35 करोड़ के अतिरिक्त अनुबंध लागत और ₹158.50 करोड़ की भुगतान की गई राशि।

गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान शेष एक एसवीएस अपूर्ण पाया गया (सितंबर 2024) क्योंकि एसवीएस के बोरवेल से पानी नहीं निकल रहा था। हालांकि, इस एसवीएस से भी 40 घरों को जलसंयोजन दिए जा चुके थे।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि योजना के प्रारंभिक सर्वेक्षण में, नवागाँव गाँव एमवीएस के दायरे में नहीं था, इसलिए गाँव को आच्छादित करने के लिए एसवीएस का कार्य शुरू किया गया था। यह भी बताया गया कि उल्लिखित एसवीएस के बोरवेल से शुरू में पानी का प्रवाह हो रहा था, इसलिए एफएचटीसी प्रदान किए गए थे। लेकिन कुछ समय बाद बोरवेल से पर्याप्त प्रवाह नहीं हो पा रहा था।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमवीएस में नवागाँव गाँव के सभी 284 परिवारों के लिए एफएचटीसी का प्रावधान शामिल था। इसके अलावा, विभाग ने सूखे बोरवेल वाले एसवीएस के लिए पानी का कोई नया स्रोत नहीं बनाया ताकि उससे जुड़े हुए 40 परिवारों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

- विभाग ने चक्रधरपुर प्रमंडल के अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम जिले के एक नमूना जांच किये गये गाँव (रघुई) की सात बस्तियों में 119 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए नौ एसवीएस[70] स्वीकृत (जनवरी 2022) किए थे। कार्य अगस्त 2022 में शुरू हुआ और मई 2023 में ₹30.44 लाख की लागत से पूरा हुआ। हालांकि, कार्य निष्पादन के दौरान, एसई के द्वारा नौ एसवीएस के दायरे को संशोधित (अक्टूबर 2022) करके चार एसवीएस[71] कर दिया गया, जिससे 149 एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सकें। यह भी देखा गया कि गाँव की दो बस्तियों (लोहार टोला और रघुई) में कोई एसवीएस नहीं दिया गया था, जबकि विभाग ने इन बस्तियों के लिए तीन एसवीएस स्वीकृत किए थे। दो बस्तियां (बिछ टोला और गोप टोला), जिनके लिए कोई एसवीएस स्वीकृत नहीं किया गया था, उन्हें भी एसएलएसएससी की मंजूरी के बिना शामिल पाया गया।

इसके अतिरिक्त, मॉडल 2 के एक एसवीएस से 45 एफएचटीसी प्रदान किए गए, जिसे 40 एफएचटीसी तक प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और मॉडल 1बी के एक एसवीएस से 24 एफएचटीसी प्रदान किए गए, जिसे 20 एफएचटीसी तक प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

इस प्रकार, एसवीएस के स्थान को उचित अनुमोदन के बिना बदल दिया गया और उनकी क्षमता से अधिक एफएचटीसी प्रदान किए गए, जिससे लक्षित लाभार्थियों को अपर्याप्त पानी या बिल्कुल भी आपूर्ति नहीं हो पाएगी।

---

[70] मॉडल 1बी के तीन एसवीएस, जिनमें से हर एक की संग्रहण क्षमता 5,000 लीटर है और मॉडल 1ए के छह एसवीएस, जिनमें से हर एक की संग्रहण क्षमता 2,000 लीटर है।

[71] मॉडल 2 के तीन एसवीएस, जिनमें से हर एक की संग्रहण क्षमता 8,000 लीटर है, और मॉडल 1बी का एक एसवीएस

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि गाँव की स्थलाकृति और सभी बस्तियों के पूर्ण आच्छादन को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की रूपरेखा को संशोधित किया गया था। जवाब में एसवीएस की डिज़ाइन की गई क्षमता से अधिक एफएचटीसी प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न केवल निष्पादन के दौरान एसई द्वारा कार्य के दायरे में संशोधन किया गया था, बल्कि एसवीएस के स्थान भी बदल दिए गए थे और एसएलएसएससी के अनुमोदन के बिना क्षमता से अधिक एफएचटीसी प्रदान किए गए थे।

- विभाग के द्वारा खूंटी जिला के नमूना जांच किये गये बमरजा गाँव में क्लस्टर 7बी के अंतर्गत 11 एसवीएस स्वीकृत (दिसंबर 2021) किया गया था। मई 2023 में कार्य शुरू हुआ। कार्य निष्पादन के दौरान एसवीएस की संख्या बदलकर सात कर दी गई। माप पुस्तिकाओं के अनुसार, सात में से पांच एसवीएस के निष्पादन के लिए संवेदक को ₹46.98 लाख का भुगतान किया जा चुका था। हालांकि, जेजेएम पोर्टल पर 11 एसवीएस के लिए ₹75.59 लाख का व्यय प्रतिवेदित किया गया था। इस प्रकार, व्यय प्रतिवेदन और एसवीएस की संख्या का विवरण मूल अभिलेखों से मेल नहीं खाता था और इसलिए जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किया गया आंकड़ा विश्वसनीय नहीं था।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025 में) कहा कि इसे जेजेएम पोर्टल में ठीक कर दिया जाएगा।

- खूंटी प्रमंडल के अंतर्गत ₹4.84 करोड़ की लागत से अक्टूबर 2021 में पूर्ण हुई कांटी आरपीडब्ल्यूएसएस परियोजना के द्वारा नौ गाँवों में 673 एफएचटीसी उपलब्ध कराई, जिनमें से 173 एफएचटीसी एक नमूना जांच किये गए गाँव (कांटी) में था। इस गाँव को ग्राम-सभा के द्वारा एचजीजे प्रमाणित गाँव के रूप में भी प्रमाणित (अगस्त 2022) किया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि इसी गाँव में दो एसवीएस योजनाएं (अप्रैल 2023 में) शुरू की गईं। सितंबर 2024 तक, इन एसवीएस का निर्माण ₹17.78 लाख की लागत से पूरा हो चुका था और दो एसवीएस में से एक से 15 एफएचटीसी उपलब्ध कराई जा चुकी थीं। इस प्रकार, एसवीएस का निर्माण एक ऐसे गाँव में किया गया था जिसे पहले से ही सतही जल आधारित एमवीएस से पूर्ण आच्छादन के लिए प्रमाणित किया जा चुका था।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) कहा कि एमवीएस की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) वर्ष 2013 की जनसंख्या के आधार पर तैयार की गई थी और एमवीएस का संचालन वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। वर्ष 2013 और 2021 के बीच गाँव की जनसंख्या/घरों की संख्या में वृद्धि हुई और उन्हें आच्छादित करने के लिए दो एसवीएस का निर्माण किया गया था।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमवीएस का डीपीआर वर्ष 2045 तक लक्षित गाँवों की अनुमानित जनसंख्या को आच्छादित करने के लिए तैयार और स्वीकृत की गई थी। इसके अलावा, संबंधित ग्राम सभा ने प्रमंडलीय प्रतिवेदन (अगस्त 2022) के आधार पर गाँव को पूरी तरह से आच्छादित किया हुआ प्रमाणित (अगस्त 2022) किया था।

- विभाग ने राज्य में 43,510 गहरे ट्यूबवेल/चापाकल (डीटीडब्ल्यू- प्रति पंचायत 10) के निर्माण के लिए ₹463.63 करोड़ की राशि स्वीकृत (नवंबर 2023) की, ताकि गाँवों में, विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु के दौरान, पेयजल की कमी को दूर किया जा सके। इस स्वीकृति में कोडरमा जिला के लिए ₹10.95 करोड़ की लागत से 1,050 डीटीडब्ल्यू शामिल थे। कार्य को पूरा करने के लिए, झुमरीतिलैया प्रमंडल द्वारा ₹10.42 करोड़ मूल्य के 15 एकरारनामा (फरवरी और मार्च 2024) किए गए, जिनकी निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि मई और सितंबर 2024 के बीच थी। सितंबर 2024 तक, कोडरमा जिले के विभिन्न गाँवों में 907 डीटीडब्ल्यू का निर्माण किया जा चुका था, जिसमें 38 डीटीडब्ल्यू 16 एचजीजे प्रतिवेदित गाँवों में शामिल थे, जिनमें 10 एचजीजे प्रमाणित गाँव भी शामिल थे। इससे यह संकेत मिलता है कि एचजीजे प्रतिवेदित/प्रमाणित गाँवों को भी जेजेएम के अंतर्गत आच्छादित होने के बावजूद पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था।

- झुमरीतीलैया प्रमंडल के अंतर्गत खुट्टा-नवाडीह आरडब्ल्यूएसएस परियोजना 4,160 एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए ₹26.15 करोड़ की अनुबंधित लागत पर शुरू (जनवरी 2023) की गई थी। यद्यपि यह योजना जुलाई 2024 तक पूरी होनी थी, लेकिन नवंबर 2024 तक कार्य की भौतिक प्रगति केवल 54 प्रतिशत थी और संवेदक को ₹2.50 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम सहित ₹9.39 करोड़ का भुगतान (मार्च 2024 तक) किया जा चुका था। कार्य निष्पादन में विलंब के बावजूद, प्रमंडल ने संवेदक से ₹2.61 करोड़ का एलडी वसूल नहीं किया। इसके अलावा, ₹1.98 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम और उस पर लागू ब्याज मूल निर्धारित तिथि तक वसूल नहीं किया गया।

जवाब में, विभाग ने कहा (जुलाई 2025) कि निर्धारित तिथि के बाद कोई भुगतान नहीं किया गया है और भविष्य में लेखापरीक्षा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

इस प्रकार, संवेदकों को ₹27.13 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता दी गई, जिसमें अस्वीकार्य भुगतान (₹8.17 करोड़), निष्पादित कार्य मात्रा में अनाधिकृत परिवर्तन के लिए भुगतान (₹2.75 करोड़), एलडी की वसूली न होना (₹5.08 करोड़), अधिक भुगतान (₹94.75 लाख), मूल्य परिवर्तन का समायोजन न होना (₹41.01 लाख) और

मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली न होना (₹9.77 करोड़) शामिल थे, इसके अतिरिक्त ₹280.85 करोड़ की लागत वृद्धि भी हुई।

2.4.5 तृतीय पक्ष निरीक्षण

जेजेएम के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता की जाँच के लिए एसडब्लूएसएम द्वारा एक तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए) को सूचीबद्ध किया जाना था। संवेदकों को किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पूर्व सभी कार्यों का टीपीआईए द्वारा निरीक्षण एवं प्रमाणन अनिवार्य था।

विभाग ने जुलाई 2022 में राज्य में चार टीपीआईए[72] नियुक्त किए अर्थात जेजेएम के शुभारंभ के लगभग तीन साल बाद। टीपीआईए की नियुक्ति से पहले, राज्य में योजना के तहत किए गए कार्यों पर ₹1,578.25 करोड़ का व्यय (मार्च 2022 तक) किया गया था। इसमें नौ नमूना-जांचित प्रमंडलों द्वारा प्रमंडलीय अभियंताओं के पर्यवेक्षण और प्रमाणीकरण के तहत किए गए कार्यों के लिए ₹479.32 करोड़ का भुगतान शामिल था। नमूना-जांचित प्रमंडलों ने चार चयनित टीपीआईए के साथ पांच एकरारनामे (जुलाई और सितंबर 2022) किए। टीपीआईए से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- दो नमूना-जांचित प्रमंडलों में ₹ 64.86 करोड़ के व्यय वाले आठ कार्यों में, टीपीआईए ने (अगस्त से नवंबर 2023) पाया कि कार्यों में निम्न गुणवत्ता वाले इस्पात और पाइपों का उपयोग किया गया था, संरचनात्मक कार्य निम्न स्तर का था, सुदृढ़ीकरण अनुमोदित डिजाइन और ड्राइंग के अनुसार नहीं किया गया था, निम्न स्तरीय सामग्री का उपयोग किया गया था, शटरिंग ठीक से नहीं की गई थी, कंक्रीट मिश्रण असंतोषजनक था आदि **(परिशिष्ट 2.5)**। हालांकि, यदि कोई कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध थी, तो वह अभिलेखों में नहीं पाई गई। इनमें से, खूंटी प्रमंडल के छः कार्यों में, टीपीआईए ने छः चालू लेखा विपत्र (आरए) की समीक्षा की अनुशंसा की, लेकिन प्रमंडल ने टीपीआईए द्वारा इंगित दोषों को दूर किए बिना इन विपत्रों के विरुध्द ₹13.20 करोड़ का भुगतान कर दिया।

- नमूना-जांचित दो प्रमंडलों (चाईबासा और चक्रधरपुर) के टीपीआईए ने एकरारनामा के अनुसार मानवबल तैनाती[73], चल रहे कार्यों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन और योजनाओं के निष्पादन में देरी से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की। प्रमंडलों ने आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई भी नहीं की

---

[72] (1) वैप्कोस लि. (2) एसजीएस इंडिया प्रा. लि. (3) मार्स प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विस प्रा. लि. और (4) टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्रा. लि.

[73] टीपीआईए को हर प्रमंडल में एक वरिष्ठ गुण नियंत्रक (क्यूसी) अभियंता, एक क्यूसी अभियंता (यांत्रिक/ विद्युत्) और चार क्यूसी अभियंता (सिविल) और ज़ोन (चाईबासा) में एक टीम लीडर और एक पर्यावरण अभियंता तैनात करना था।

और 54 एकरारनामा (सितंबर 2024) से संबंधित विपत्रों के प्रमाणीकरण के लिए ₹6.21 लाख[74] का भुगतान (मार्च 2023) कर दिया।

इस प्रकार, जेजेएम के तहत शुरू किए गए सभी कार्यों के भुगतान से पहले टीपीआईए द्वारा अनिवार्य प्रमाणीकरण और निरीक्षण सुनिश्चित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांचित छः जिलों में से दो जिलों में टीपीआईए ने अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा नहीं किया।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने (जुलाई 2025 में) कहा कि दोषपूर्ण टीपीआईए के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी और जहां भी शिकायतें पाई गईं, वहां गुणवत्ता निरीक्षण सुनिश्चित किया गया था। विभाग ने यह भी कहा कि टीपीआईए की टिप्पणियों पर आवश्यक कार्रवाई की गई थी।

यह उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि टीपीआईए के अवलोकन पर की गई कार्रवाई के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अनुशंसा 3: विभाग सभी परियोजनाओं का अनिवार्य तृतीय-पक्ष निरीक्षण सुनिश्चित करे। संवेदकों को कोई भी भुगतान करने से पहले टीपीआईए की प्रतिकूल टिप्पणियों पर भी कार्रवाई की जाए।

2.4.6. संचालन और रखरखाव

जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, एसडब्ल्यूएसएम को बिजली शुल्क, रसायनों की लागत, निवारक/खराब रखरखाव पर व्यय और पंप ऑपरेटरों के पारिश्रमिक जैसे आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए एक संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) रणनीति विकसित करनी थी, और जल आपूर्ति प्रणालियों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मासिक टैरिफ/उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित करना था। दिशानिर्देशों में स्थानीय समुदाय के बीच स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया था, जिसके तहत नकद, वस्तु और/या श्रम के रूप में योगदान देकर प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- जेजेएम से पहले[75], विभाग ने (सितंबर 2013) बहु पंचायत/ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) का गठन करके एमवीएस के संचालन और रखरखाव के लिए निर्देश जारी किए थे, ताकि संयोजन शुल्क (न्यूनतम ₹310 प्रति संयोजन) और वीडब्ल्यूएससी द्वारा निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया जा सके। एकत्रित राशि

---

[74] चाईबासा: ₹ 3.49 लाख और चक्रधरपुर: ₹ 2.72 लाख।

[75] जेजेएम के तहत, सभी संविदा में योजना पूरी होने के बाद, संवेदक द्वारा पांच साल तक ओ एंड एम का प्रावधान शामिल था। इसके बाद, योजना वीडब्ल्यूएससी को सौंप दी जानी थी।

को संचालन और रखरखाव खर्चों, जैसे बिजली शुल्क, पंप संचालकों के पारिश्रमिक, रसायनों की लागत और मरम्मत कार्य को पूरा करने के लिए एक बैंक खाते में रखा जाना था। हालांकि, नमूना जाँचित 26 गाँवों में से आठ[76] गाँवों में, जहां एमवीएस के माध्यम से एफएचटीसी उपलब्ध कराए गए थे, ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई थी और न ही उपयोगकर्ता शुल्क दरें निर्धारित की गई थीं।

- एसएलएसएससी ने अपनी बैठक में (जून 2020) सामुदायिक अंशदान के मुद्दे पर चर्चा की और राज्य मंत्रिमंडल को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। इसके लंबित रहने तक, सामुदायिक अंशदान को अनिवार्य नहीं बनाया गया था। हालांकि, विभाग ने (नवंबर 2024 तक) एसडब्ल्यूएसएम या राज्य मंत्रिमंडल को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए, नमूना जाँच के लिए चुने गए किसी भी प्रमंडल में ग्राम समुदाय से स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त नहीं हो सका।

- पूर्ण परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के वित्तीय बोझ को पूरा करने के लिए, एसएलएसएससी ने (जून 2020) अन्य राज्यों में संचालन एवं रखरखाव प्रणाली का अध्ययन करने का निर्णय लिया। एसएलएसएससी ने (मार्च 2023) विभाग को राज्य के लिए संचालन एवं रखरखाव नीति बनाने की भी सलाह दिया। हालांकि, इस संबंध में की गई कार्रवाई का कोई अभिलेख नहीं मिला (नवंबर 2024 तक)। विभाग ने (फरवरी 2024) सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे संचालन एवं रखरखाव खर्चों को पूरा करने के लिए सभी लाभार्थियों से ₹62 प्रति माह का जल/उपयोग शुल्क वसूलना सुनिश्चित करें। हालांकि, नमूना-जांचित प्रमंडलों के पास वीडब्ल्यूएससी द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क वसूली से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी। नमूना-जांचित गाँवों के वीडब्ल्यूएससी ने भी लेखापरीक्षा को अपने बैंक खाते या उपयोगकर्ता शुल्क वसूली (यदि कोई हो) का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

- दो प्रमंडलों के, तीन नमूना-जांचित एकरारनामों में, संवेदक द्वारा दो एसवीएस क्लस्टरों के लिए पांच वर्षों के लिए उद्धृत संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) की दरें[77] अनुमानित/निविदा लागत से 69 से 100 प्रतिशत (केवल ₹1 प्रति वर्ष) कम थीं, जबकि एमवीएस की दरें अनुमानित/निविदा लागत से 51 प्रतिशत कम थीं। हालांकि, विभागीय

---

[76] धनबाद: बलियापुर प्रखंड के बंदाचुआं और बलियापुर और बाघमारा प्रखंड के कुमरडीह, कोडरमा: कोडरमा प्रखंड के बिष्णुटिकर और डोमचांच प्रखंड के चौरी; पश्चिमी सिंहभूम: चाईबासा प्रखंड के कुरसी और गाइसुत्ती, खूंटी: कर्रा प्रखंड के कांटी।

[77] खूंटी: (i) क्लस्टर 7बी- अनुमानित लागत ₹41.22 लाख के मुकाबले तय एकरारित लागत ₹12.90 लाख थी, (ii) तपकारा और आस-पास के गांवों की जलापूर्ति योजना - अनुमानित लागत ₹110.93 लाख के मुकाबले एकरारित लागत ₹ 54.86 लाख थी और (iii) कोडरमा: क्लस्टर 4 - पांच साल के लिए कुल अनुमानित लागत ₹15.74 लाख के मुकाबले हर साल हर एसवीएस के लिए एकरारित लागत ₹ एक तय हुई।

निविदा समिति (डीटीसी) ने निविदाओं को अंतिम रूप देते समय एसबीडी के खंड 29[78] के तहत पूर्ण योजनाओं के उचित संचालन एवं रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए दरों का औचित्य नहीं मांगा। क्षेत्र निरीक्षण और लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान पूर्ण योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव का अभाव पाया गया, जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

- पश्चिम सिंहभूम जिले के कुरसी और गैसुती गाँवों[79] के क्षेत्र निरीक्षण के दौरान, सड़क के ऊपर बिछाई गई एक एमवीएस (कुरसी ग्रामीण जलापूर्ति योजना) की वितरण पाईपलाइन क्षतिग्रस्त पाई गई, जिससे कारण 12 परिवारों को पानी की आपूर्ति बाधित था। इसके अलावा, एमवीएस की डिलीवरी पाईपलाइन भी खेत में पड़ी हुई पाई गई, जिसमें कोई नल नहीं जुड़ा था, हालांकि योजना ओ एंड एम अवधि में थी **(चित्र 2.9** और **2.10)**।

चित्र 2.9	**चित्र 2.10**

- धनबाद के डोमचलकारो गाँव[80] में, रखरखाव और संचालन की कमी (जैसे जले हुए बिजली के स्विच और मोटर पंप की मरम्मत/बदली न होना) के कारण एक लघु ग्रामीण जल आपूर्ति योजना निष्क्रिय पाई गई **(चित्र 2.11** और **2.12)**। लाभार्थियों ने (अक्टूबर 2024) बताया कि पिछले दो वर्षों से इस योजना से पानी की आपूर्ति नहीं हुई थी और वे पीने के पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे थे।

---

78 क्लॉज 29.5 (निविदाकारों के लिए निर्देश) के तहत, अगर सफल निविदाकार द्वारा उद्धृत राशि काम की अनुमानित लागत के मुकाबले बहुत ज़्यादा असंतुलित है, तो नियोक्ता, निविदाकार से विस्तृत मूल्य विश्लेषण दिखाने के लिए कह सकता है कि कीमतें, बताए गए निर्माण के तरीकों और प्रस्तावित अनुसूची के साथ आंतरिक तौर पर एक जैसी हैं। क्लॉज़ 29.6 के अनुसार, यदि किसी निविदा में बीओक्यू के अंतर्गत कई मदें अत्यधिक कम एवं अवास्तविक दरों पर उद्धृत की गई हों और निविदाकार द्वारा उन दरों का संतोषजनक औचित्य प्रस्तुत न किया जा सके, तो ऐसी निविदा को अनुत्तरदायी मानते हुए अस्वीकृत किया जा सकता है।

79 पंचायत: कुर्सी, प्रखण्ड: चाईबासा और ज़िला: पश्चिमी सिंहभूम।

80 पंचायत: माटीगढ़ा, प्रखण्ड: बाघमारा और जिला: धनबाद में 74 घरों वाला एक प्रमाणित गांव।

चित्र 2.11	चित्र 2.12

- खूंटी के कांटी गाँव[81] (173 घरों वाला एक प्रमाणित गाँव) के 18 लाभार्थियों में से दो ने (अक्टूबर 2024) बताया कि एमवीएस के एफएचटीसी के माध्यम से पानी की आपूर्ति इसकी स्थापना (अप्रैल 2022) के बाद से नहीं हो रही थी। इसके अलावा, सभी 18 लाभार्थियों और संबंधित वीडब्ल्यूएससी के जल सहिया ने बताया कि पिछले तीन महीनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही थी क्योंकि इंटेक वेल पर लगा ट्रांसफार्मर जल गया था। हालांकि, योजना के संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) अवधि में होने के बावजूद, संवेदक द्वारा ट्रांसफार्मर के जलने की सूचना विभाग को देने या उसकी मरम्मत के लिए कोई कार्रवाई करने के संबंध में कोई अभिलेख नहीं मिला।

जवाब में, विभाग ने (जुलाई 2025) बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 19 मापदंडों पर एक संचालन एवं रखरखाव नीति का मसौदा तैयार किया गया था और इसे कैबिनेट द्वारा (मई 2025) अनुमोदित किया गया था।

अनुशंसा 4: विभाग जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए संचालन एवं रखरखाव नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और ग्राम समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करे।

2.5 जल गुणवत्ता का पर्यवेक्षण और निगरानी

2.5.1 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ

जेजेएम दिशानिर्देशिका के तहत, सभी जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को, विशेषकर मुख्य परीक्षण मापदंडों के लिए, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें पानी की कम से कम 13 बुनियादी जल गुणवत्ता (11 रासायनिक और दो जीवाणु संबंधी) मानकों[82] के विरुद्ध परीक्षण का भी प्रावधान था। पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण ढांचा[83]

---

81 पंचायत: लरता, प्रखण्ड: कर्रा और जिला: खूंटी।

82 (1) पी.एच. मान (2) कुल घुले हुए ठोस (3) टर्बिडिटी (4) क्लोराइड (5) कुल क्षारीयता (6) कुल कठोरता (7) सल्फेट (8) आयरन (9) कुल आर्सेनिक (10) फ्लोराइड (11) नाइट्रेट (12) कुल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और (13) ई-कोली या थर्मो टॉलरेंट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया.

83 अक्टूबर 2021 में जारी फ्रेमवर्क का उद्देश्य जेजेएम के तहत नियोजित जल गुणवत्ता परीक्षण, निगरानी और पर्यवेक्षण कार्यों को बढ़ावा देना है।

(डीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसएफ) में राज्य एवं ज़िला प्रयोगशालाओं हेतु 17 मानकों के लिए एनएबीएल मान्यता की बात कही गई थी।

सितंबर 2024 तक, झारखण्ड में 31 प्रयोगशालाएँ (एक राज्य, 24 ज़िला और छः अनुमंडल) थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य प्रयोगशाला के पास जेजेएम के तहत ज़रूरी 13 बुनियादी मानकों समेत 17 मानकों के लिए एनएबीएल मान्यता था, जबकि अन्य प्रयोगशालाओं के पास सिर्फ़ सात से 14 मानकों के लिए मान्यता थी। छः नमूना जांचित जिलों में जिला प्रयोगशाला के अभिलेख की जांच से ये बातें पता चली:

- नमूना जांचित प्रयोगशालाओं के पास सात से 14 मानकों की परीक्षण सुविधाओं के लिए एनएबीएल मान्यता थी, लेकिन ज़रूरी कार्यबल की तैनाती न होने और उपकरण की कमी के कारण पांच से आठ बुनियादी मानकों के लिए मान्यता नहीं मिल सका। छः नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशाला में से चार को एनएबीएल मान्यता (अगस्त 2022 और जनवरी 2023 के बीच) जेजेएम ***(परिशिष्ट 2.6)*** के शुभारम्भ (अगस्त 2019) के 36 से 41 महीने बाद मिला था।

- पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण रुपरेखा (डीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसएफ) ने जिला स्तरीय प्रयोगशाला में आठ[84] कर्मचारियों की अनुशंसा की। इसके मुकाबले, 2019-24 के दौरान नमूना जांचित प्रयोगशालाओं में सिर्फ़ तीन से सात कर्मचारी ही तैनात थे। कमी मुख्य रूप से सूक्ष्म-जीवाणुविज्ञानी/जीवाणुविज्ञानी और प्रयोगशाला परिचारक की थी, जिसका जीवाणु संबंधी परीक्षण और परीक्षण के अभिलेखों के सही रखरखाव पर बुरा असर पड़ा। यह भी देखा गया कि छः नमूना जांचित जिला प्रयोगशाला में से सिर्फ़ दो (हज़ारीबाग और पूर्वी सिंहभूम) के पास जीवाणु संबंधी परीक्षण करने के लिए मान्यता थी।

- डीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसएफ ने एक जिला प्रयोगशाला के लिए 35 तरह के यंत्र/उपकरण का सुझाव दिया था। इसके विरुद्ध, नमूना जांचित जिला प्रयोगशाला[85] में सिर्फ़ आठ (23 प्रतिशत) से 16 (46 प्रतिशत) तरह के उपकरण ही थे। जमशेदपुर और चाईबासा प्रयोगशाला में आयरन परीक्षण के लिए ज़रूरी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रमशः 2017 और 2021 से खराब पाया गया।

- धनबाद की जिला प्रयोगशाला को सिर्फ़ सात मानकों पर एनएबीएल मान्यता (मार्च 2020) मिला था और उसके पास जेजेएम के तहत बताए गए आठ बुनियादी गुणवत्ता मानकों को परीक्षण करने की सुविधा नहीं थी। यह भी देखा गया कि प्रयोगशाला द्वारा उन्हीं सात मानकों के आधार पर अक्टूबर 2022 में नया मान्यता प्राप्त किया था।

---

[84] केमिस्ट/वॉटर एनालिस्ट: एक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट/बैक्टीरियोलॉजिस्ट: एक, लेबोरेटरी असिस्टेंट- दो, डेटा एंट्री ऑपरेटर: एक, प्रयोगशाला अटेंडेंट: एक और फील्ड असिस्टेंट: दो।

[85] चाईबासा: 12, धनबाद: 16, जमशेदपुर: 16, हजारीबाग: 15, खूंटी: 15 और कोडरमा: 8।

- चाईबासा की जिला प्रयोगशाला ने (मार्च और अगस्त 2023 के बीच) 3,648 नमूना इकट्ठा किए, लेकिन परीक्षण की सुविधा होने के बावजूद, रसायन और इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कमी के कारण टीडीएस (576 नमूना) और फ्लोराइड (296 नमूना) के लिए गुणवत्ता परीक्षण नहीं कर सकी।

- हज़ारीबाग की जिला प्रयोगशाला ने ज़रूरी रसायन और अभिकर्मक न होने की वजह से फ्लोराइड परीक्षण नहीं किया, जबकि ज़िले के 21 गाँवों की 55 बस्तियां फ्लोराइड से प्रभावित थीं।

इस तरह, नमूना जांचित ज़िलों की जिला प्रयोगशाला में जेजेएम दिशानिर्देशिका में बताए गए 13 मानकों के हिसाब से परीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएँ/मानवबल नहीं थीं और इस वजह से, तय गुणवत्ता के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो सकी।

जवाब में, विभाग ने कहा (जुलाई 2025) कि जिन जिला प्रयोगशालाओं का नमूना जांच किया गया था, उनके पास 11 से 12 रासायनिक मानकों के लिए एनएबीएल मान्यता थी। तीन प्रयोगशालाओं (जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद) के पास दो जीवाणु संबंधी मानकों के लिए भी मान्यता थी। वित्त वर्ष 2025-26 में आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती करके राज्य की सभी प्रयोगशालाओं की 17 मानकों (15 रासायनिक और दो जीवाणु संबंधी) पर परीक्षण करने की क्षमता बढ़ाने की योजना थी। निकास सम्मेलन (जून 2025) के दौरान, विभाग ने कहा कि वह जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को उन्नत करने पर काम कर रहा है और उन्हें रसायन, मानवबल और उपकरण आपूर्ति की जाएंगी।

अनुशंसा 5: विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि जेजेएम में ज़रूरी कम से कम 13 बुनियादी गुणवत्ता मानकों के परीक्षण के लिए एनएबीएल से मान्यता मिल जाए।

2.5.2 रसायनों की उपलब्धता

पेयजल गुणवत्ता निगरानी के लिए एक समान संलेख (यूडब्ल्यूक्यूएमपी) ने जेजेएम दिशानिर्देश में बताए गए कम से कम 13 मानकों पर पानी की गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए जिला प्रयोगशाला में 67 तरह के रसायन की मौजूदगी की अनुशंसा की थी। प्रयोगशालाओं के पास इन रसायनों का कम से कम तीन महीने का सुरक्षित भण्डारण होना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमयू ने केंद्रीय स्तर पर रसायन खरीदे और उन्हें क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में भेजा। पीएमयू ने लेखापरीक्षा को केंद्रीय खरीद और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में इसके वितरण की जानकारी नहीं दी। नमूना जांचित प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि:

- पीएमयू ने नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशाला को सिर्फ़ दो साल (2018-19 और 2021-22) 2019-24 के दौरान रसायन आपूर्ति किए थे। 2021-22 के बाद उन्हें कोई रसायन आपूर्ति नहीं किया गया, हालांकि नमूना जांचित प्रयोगशाला [86] ने समय-समय पर (मई 2023 और फरवरी 2025 के बीच) माँग की थी। लेखापरीक्षा (सितंबर से नवंबर 2024) के दौरान, हज़ारीबाग और खूंटी ज़िला प्रयोगशाला में सिर्फ़ चार और 15 तरह के रसायन ही उपलब्ध पाए गए।

- पानी में आयरन की मात्रा परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, चाईबासा की नमूना जांचित जिला प्रयोगशाला में 2021 से खराब था। हालांकि, यह देखा गया कि आयरन परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इस्तेमाल होने वाला एक रसायन (आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन) 2021-22 में प्रयोगशाला को आपूर्ति की गई थी और बिना इस्तेमाल किए ही फरवरी 2025 में उसकी अवधि समाप्त हो गया था। यह भी देखा गया कि वही रसायन जिला प्रयोगशाला, हजारीबाग के पास उपलब्ध नहीं था, जिसके पास एक कार्यशील स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था। इस वजह से, हजारीबाग में आयरन परीक्षण नहीं हो रहे थे।

- 2021-22 के दौरान चाईबासा की जिला प्रयोगशाला को बिना ज़रूरत के पांच[87] तरह के रसायन आपूर्ति किए गए और आखिर में दो तरह के रसायन[88] के अवधि बिना इस्तेमाल किए ही फरवरी 2023 और अगस्त 2023 में कालातीत हो गए थे।

- हज़ारीबाग की जिला प्रयोगशाला के पास सितंबर 2024 तक सभी 12 मानकों पर परीक्षण के लिए रसायन का भंडार नहीं था, जिसके लिए उनके पास एनएबीएल मान्यता था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि 62 रसायन में से 52 (जो नवंबर 2018 में प्रयोगशाला को आपूर्ति किए गए थे) की समाप्ति तिथि नवंबर 2019 और अगस्त 2024 के बीच थी। प्रयोगशाला ने पीएमयू को (जून 2023 और मार्च 2024 के बीच) माँग भेजी थी, लेकिन कोई रसायन आपूर्ति नहीं किया गया। इस वजह से, प्रयोगशाला ने अक्टूबर 2024 में सिर्फ़ दो मानक (पीएच मान और रंग) पर गुणवत्ता परीक्षण किए थे।

इस तरह, नमूना जांचित की गई ज़िला प्रयोगशाला में यूडब्ल्यूक्यूएमपी में बताए गए ज़रूरी रसायन नहीं थे। इसके अलावा, रसायन का ज़रूरी बैकअप भंडार भी पक्का नहीं

---

[86] चाईबासा: जून और नवंबर 2023; धनबाद: फरवरी 2024, दिसंबर 2024 और फरवरी 2025; पूर्वी सिंहभूम: जून 2022 और मई 2023।

[87] ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फेनैंथ्रोलाइन (जीआर 1,10), सोडियम एसीटेट घोल, नाइट्रेट मानक घोल और अमोनियम एसीटेट एआर का सांद्रण।

[88] फरवरी 2023 में नाइट्रेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और अगस्त 2023 में सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन

किया गया था। ज़िला प्रयोगशाला में ज़रूरी रसायन न होने से पानी की गुणवत्ता परीक्षण पर बुरा असर पड़ा।

जवाब में, विभाग ने बताया (जुलाई 2025) कि 17 मानकों पर पानी की गुणवत्ता परीक्षण के लिए ज़रूरी रसायन, कांच के सामान और उपकरण खरीदने का काम चल रहा है। खरीदने के बाद, सभी प्रयोगशालाओं में नियमित तौर पर पर्याप्त रसायन और दूसरा ज़रूरी सामान उपलब्ध होगा।

2.5.3 जल गुणवत्ता परीक्षण

जेजेएम दिशानिर्देश के अनुसार, जिला प्रयोगशालाओं को हर महीने 250 पानी के श्रोत/नमूना परीक्षण करने चाहिए, जिसमें अलग-अलग जगहों पर फैले सभी श्रोत को यादृच्छिक तरीके से आच्छादित किया जाए, जिसमें निचले स्तर की प्रयोगशाला से भेजे गए पॉजिटिव परीक्षण नमूना भी शामिल हों। सभी प्रयोगशालाओं को नमूने लेने और विश्लेषण करने का उचित अभिलेख रखना था।

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2019-24 के दौरान ज़िला प्रयोगशाला के लिए परीक्षण का लक्ष्य (हर महीने 300 से 600 नमूना) तय किया था। धनबाद की ज़िला प्रयोगशाला के, जहां 28,800 परीक्षण के लक्ष्य के विरुद्ध सिर्फ़ 25,080 (87 प्रतिशत) परीक्षण किए गए थे, के अलावा नमूना जांचित छः में से पांच ज़िला प्रयोगशाला ने परीक्षण का लक्ष्य पूरा कर लिया था।

चाईबासा की जिला प्रयोगशाला के बनाए गुणवत्ता परीक्षण पंजी में अंकित किए गए छः महीने (मार्च 2023 से अगस्त 2023) के आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 3,648 नमूना की प्रविष्टि में से, 475 नमूना के श्रोत (योजना/टोला/गाँव/ब्लॉक का नाम) का विवरण, 381 नमूना के नमूना संग्रह का समय/तारीख और किसी भी नमूना की परीक्षण का समय पंजी में अभिलेखबद्ध नहीं किया गया था। अतः, नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशालाओं ने रासायनिक या जीवाणु परीक्षण, नमूना संग्रह में शामिल गाँव/टोला, परीक्षण का टर्नअराउंड समय वगैरह की विवरण के विश्लेषण के लिए परीक्षण का सही अभिलेख नहीं रखा।

नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशालाओं द्वारा पानी की गुणवत्ता परीक्षण के तहत आच्छादित किए गए गाँवों की जानकारी, जैसा कि जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किया गया है, **तालिका 2.5.1** में दिखाई गई है।

तालिका 2.5.1: नमूना जांचित ज़िलों के कुल गाँवों की तुलना में वे गाँव जहाँ गुणवत्ता परीक्षण किए गए थे

जिले का नाम/वर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
	गाँवों की संख्या		गाँवों की संख्या		गाँवों की संख्या	
	कुल	जहाँ परीक्षण किए गए	कुल	जहाँ परीक्षण किए गए	कुल	जहाँ परीक्षण किए गए
धनबाद	1,156	562	1,137	1,038	1,137	1,136
हजारीबाग	1,205	1,111	1,186	1,184	1,186	1,184
कोडरमा	583	519	574	568	574	574
खूंटी	760	447	755	721	755	745
पूर्वी सिंहभूम	1,678	781	1,640	1,502	1,640	1,632
पश्चिमी सिंहभूम	1,661	710	1,648	1,608	1,648	1,468
कुल	**7,043**	**4,130 (59)**	**6,940**	**6,621 (95)**	**6,940**	**6,739 (97)**

(स्रोत: जेजेएम पोर्टल)

तालिका 2.5.1 से देखा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में गुणवत्ता परीक्षण के मामले में गाँवों की आच्छादन बेहतर हुई है। इस बारे में लेखापरीक्षा के नतीजों पर नीचे चर्चा की गई है:

- जेजेएम पोर्टल पर 2019-21 के दौरान किए गए जीवाणु परीक्षण का आँकड़ा नहीं था। 2022-24 के दौरान, जीवाणु परीक्षण सिर्फ़ दो प्रतिशत (570), 23 प्रतिशत (6,761) और 34 प्रतिशत (9,930) गाँवों में ही किए गए।

- 2022-24 के दौरान, नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशालाओं में से पांच (चाईबासा को छोड़कर) ने जेजेएम पोर्टल पर 37,928 जीवाणु परीक्षण की जानकारी दी। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस दौरान पांचों प्रयोगशालाओं में से किसी में भी सूक्ष्म-जीवाणुविज्ञानी/जीवाणुविज्ञानी नहीं थे और इनमें से तीन प्रयोगशाला (पूर्वी सिंहभूम और हज़ारीबाग को छोड़कर) के पास जीवाणु परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यता नहीं था।

- डीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसएफ ने इस बात पर बल दिया कि दूषित जल स्रोतों के शीघ्र और व्यापक प्रबंधन के लिए परीक्षण परिणामों की समय पर उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इसने अनुशंसा की कि रासायनिक मानकों के परीक्षण के लिए लगने वाला समय [89] 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि जैविक मानकों के परीक्षण के लिए यह 48 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।

नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशालाओं ने नमूना इकट्ठा करने की तारीख और समय और उनके परीक्षण से लेकर विश्लेषण तक के टर्नअराउंड समय का सही अभिलेख नहीं रखा

[89] प्रयोगशाला में नमूना मिलने से लेकर रिपोर्ट फाइनल होने तक का समय।.

था। हालांकि, जैसा कि जेजेएम पोर्टल में बताया गया है, राज्य में टर्नअराउंड समय छः से 42 दिनों के बीच था, जबकि नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशालाओं में यह 12 से 33 दिनों के बीच था।

इस प्रकार, नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशालाओं में जेजेएम पोर्टल पर प्रतिवेदित किए गए जीवाणु परीक्षणों को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञ और एनएबीएल मान्यता की कमी थी। इसके अलावा, उन्होंने जेजेएम पोर्टल पर उल्लिखित उपलब्धियों के सत्यापन के लिए परीक्षण आंकड़ों का उचित अभिलेख नहीं रखा।

जवाब में, विभाग ने बताया (जुलाई 2025) कि पहले एच2एस वायल का इस्तेमाल (जल सहिया या किसी प्रयोगशाला कर्मचारी ने) जीवाणु परीक्षण के लिए किया था और परीक्षण प्रतिवेदन जेजेएम पोर्टल पर डाली जाती थी। एच2एस वायल का इस्तेमाल करके किए गए जीवाणु परीक्षण प्रतिवेदन प्रविष्टि का विकल्प भारत सरकार ने बंद कर दिया है, जिससे कम जीवाणु परीक्षण प्रतिवेदन आ रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, सभी जिला प्रयोगशालाओं के लिए जीवाणु संबंधी मानकों पर एनएबीएल मान्यता प्राप्त की जाएगी और उपकरण खरीदने और सूक्ष्मजीवविज्ञानी/रसायनविज्ञानी नियुक्त करने के लिए निविदा जारी की गई है। आगे बताया गया कि टर्नअराउंड समय ज़्यादा था, क्योंकि टर्नअराउंड समय गणना करने के लिए अगस्त 2022 (जब आँकड़े नियमित तौर पर प्रविष्टि नहीं किया जा रहा था) के बाद का आँकड़ा लिया गया था और अब सभी प्रयोगशालाओं को 24 घंटे के अंदर परीक्षण परिणाम प्रविष्टि करके टर्नअराउंड समय कम करने के निर्देश दिए गए हैं। निकास सम्मेलन (जून 2025) में, विभाग ने यह स्पष्ट किया कि जल सहियाओं को पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच और समय पर आँकड़ा प्रविष्टि के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और मोबाइल फोन दिए गए हैं, जिससे टर्नअराउंड समय कम हो सके।

जवाब संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 2021-23 के दौरान केवल दो से 23 प्रतिशत गाँवों को ही जीवाणुविज्ञानी परीक्षण के तहत आच्छादित किया गया था। इसके अलावा, चार[90] नमूना जांचित प्रयोगशाला में जून और जुलाई 2025 में परीक्षण किए गए 39 नमूना के पर्यवेक्षण (जुलाई 2025) के दौरान, यह देखा गया कि 31 नमूना दो दिनों के अंदर और आठ नमूना तीन दिनों के अंदर विश्लेषित किए गए थे। हालांकि, 39 में से 35 नमूना के मामले में, प्रतिवेदन बनाने और जेजेएम पोर्टल पर अपलोड करने में विश्लेषण की तारीख से चार से 19 दिन ज़्यादा लगे। इस तरह, आँकड़ा प्रविष्टि में सुधार नहीं हुआ और प्रतिवेदन बनाने और जेजेएम पोर्टल पर प्रविष्टि में विलंब से 35 जांचित नमूना के मामले में टर्नअराउंड समय छः से 19 दिन बढ़ गया।

[90] चाईबासा, धनबाद, जमशेदपुर और खूंटी।

2.5.4 फील्ड टेस्ट किट

डीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसएफ के अनुसार, ग्राम स्तर पर शुरुआती स्क्रीनिंग के लिए भौतिक-रासायनिक दूषितकरण की जांच के लिए बहु-मानक फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का इस्तेमाल किया जाना था। जिन नमूना का परीक्षण पॉजिटिव आये, उनकी सम्पुष्टि के लिए नजदीकी जल परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाना था। ग्राम स्तर पर निजी श्रोत सहित सभी पीने के पानी के श्रोत की पानी की गुणवता की जांच एफटीके का इस्तेमाल करके की जानी थी। इसके अलावा, एक एफटीके में 100 परीक्षण करने की क्षमता थी।

लेखापरीक्षा जांच में ये बातें सामने आईं :

- विभाग ने (फरवरी 2023) प्रमंडल को हर महीने एफटीके के साथ 16 स्रोत का पानी की गुणवत्ता परीक्षण करने का निर्देश दिया था। इसके अनुसार, हर साल 192 स्रोत का परीक्षण किया जाना था, जिसके लिए हर गाँव में कम से कम दो एफटीके की ज़रूरत थी। हालांकि, विभाग ने प्रमंडल में बांटने के लिए पर्याप्त एफटीके नहीं खरीदे। नमूना जांचित प्रमंडल द्वारा जल सहिया/वीडब्ल्यूएससी को एफटीके के वितरण की विवरण **तालिका 2.5.2** में दिखाई गई है।

तालिका 2.5.2: एफटीके की साल-दर-साल उपलब्धता

जिला	1 अप्रैल 2022 तक गाँवों की संख्या	वीडब्ल्यूएससी/जल सहियाओं को बांटी गई एफटीके किट की संख्या (कोष्ठ में प्रतिशत)		
		2021-22	2022-23	2023-24
धनबाद	1,156	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	537 (*46*)
हजारीबाग	1,205	308 (*26*)	898 (*75*)	1,204 (*100*)
कोडरमा	583	140 (*24*)	435 (*75*)	545 (*93*)
खूंटी	760	21 (*3*)	154 (*20*)	760 (*100*)
पूर्वी सिंहभूम	1,678	280 (*17*)	330 (*20*)	1,640 (*98*)
पश्चिमी सिंहभूम	1,661	324 (*20*)	1,339 (*81*)	1,661(*100*)
कुल	**7,043**	**1,073 (*15*)**	**3,156 (*45*)**	**6,347 (*90*)**

(स्रोत: विभाग से मिली जानकारी से इकट्ठा किया गया)

तालिका 2.5.2 से देखा जा सकता है कि 2021-23 के दौरान सिर्फ़ 15 से 45 प्रतिशत गाँवों को ही एफटीके दिए गए थे। 2023-24 के दौरान, 90 प्रतिशत गाँवों में एफटीके बांटे गए। हालांकि, बांटे गए एफटीके सभी गाँवों में तय संख्या में हर महीने परीक्षण करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

नमूना-जांचित गाँवों की नमूना-जांचित जिला प्रयोगशालाओं या वीडब्ल्यूएससी ने एफटीके जांच का आँकड़ा एकत्र नहीं किया। हालांकि, जेजेएम पोर्टल के अनुसार, 2021-24 के दौरान जांच किए गए जिलों में एफटीके के ज़रिए कुल 2,58,706 नमूनों की जांच की

गई थी, जिसमें 2021-22 में 194 (तीन प्रतिशत) गाँव, 2022-23 में 2,099 (30 प्रतिशत) गाँव और 2023-24 में 6,388 (91 प्रतिशत) गाँव शामिल थे।

- जेजेएम पोर्टल से पता चला कि एफटीके का इस्तेमाल करके परीक्षण किए गए 2,58,706 नमूना में से 1,065 नमूना दूषित पाए गए। हालांकि, इनमें से सिर्फ़ 128 नमूना का ज़िला प्रयोगशालाओं में दोबारा परीक्षण किया गया। सभी दूषित नमूना का दोबारा परीक्षण न करने की वजह अभिलेख में नहीं मिली।

- धनबाद II प्रमंडल में एफटीके के भंडार पंजी की जांच से पता चला कि प्रमंडल को जून और अगस्त 2023 के बीच कुल 707 एफटीके मिले थे। लेकिन 17 अक्टूबर 2024 तक वीडब्ल्यूएससी को सिर्फ़ 537 एफटीके ही बांटे गए थे। बाकी 170 एफटीके प्रमंडल कार्यालय में पड़े मिले (**चित्र 2.13** और **2.14**)। इसके अलावा, 288 कालातीत (अगस्त 2024) एफटीके भी प्रमंडल कार्यालय में पड़े मिले (**चित्र 2.15** और **2.16**)।

चित्र 2.13	**चित्र 2.14**
चित्र 2.15	**चित्र 2.16**
समाप्ति तिथि वाला एफटीके	***समाप्ति तिथि वाले एफटीके प्रमंडल कार्यालय में पड़े हुए***

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी पाया कि प्रमंडलों ने वीडब्ल्यूएससी को एफटीके बांट दिए, लेकिन जल सहियाओं को पानी की गुणवत्ता परीक्षण के लिए एफटीके इस्तेमाल करने की सही प्रशिक्षण नहीं दी गई।

धनबाद जिले के डोमचालकारो गाँव[91] में लाभुक सर्वे (अक्टूबर 2024) के दौरान, जल सहिया ने बताया कि प्रमंडल ने बिना कोई प्रशिक्षण दिए सिर्फ़ 10 दिन पहले एफटीके

[91] पंचायत: माटिगढ़ा, ब्लॉक: बाघमारा और जिला: धनबाद।

दिए थे। खूंटी जिले के बमरजा गाँव[92] की जल सहिया ने भी (सितंबर 2024) माना कि वह एफटीके से परीक्षण नहीं कर पाईं क्योंकि कोई प्रशिक्षण नहीं दी गई थी।

हालांकि, 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान डोमचालकारो गाँव में 19 नमूना के परीक्षण और बमरजा गाँव में एफटीके के ज़रिए 35 नमूना के परीक्षण का प्रतिवेदन जेजेएम पोर्टल पर दर्ज की गई थी।

इस तरह, जल सहिया ज़रूरी परीक्षण नहीं कर पाईं, क्योंकि एफटीके को बिना सही प्रशिक्षण दिए बांट दिया गया था।

जवाब में, विभाग ने कहा (जुलाई 2025) कि एफटीके खरीदने के लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया है और उन्हें समय पर (क्षेत्र इकाइयों को) बांट दिया जाएगा। निकास सम्मेलन (जून 2025) में, विभाग ने भरोसा दिलाया कि पर्याप्त एफटीके खरीदे जाएंगे और बांटे जाएंगे, साथ ही जल सहियाओं को बार-बार और सही पानी की गुणवत्ता परीक्षण करने की प्रशिक्षण भी दी जाएगी।

अनुशंसा 6: विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्र इकाइयों को समय पर ज़रूरी रसायन और एफटीके की खरीद और वितरण हो, और सभी पानी के स्रोत की समय पर परीक्षण के लिए जल सहियाओं को प्रशिक्षण दी जाए।

2.5.5 स्वच्छता निरीक्षण

जेजेएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायत को पानी की सुविधा का मौके पर जाकर मुआयना करना था, जिसे 'स्वच्छता निरीक्षण' कहते हैं, ताकि गंदगी के असली और संभावित स्रोतों का पता चले। इस जानकारी से सही कदम उठाने में मदद मिलनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांचित प्रमंडल ने हर साल किए गए स्वच्छता निरीक्षण का सही तरीके से आँकड़ा नहीं रखा था। 2019-21 के दौरान किए गए स्वच्छता निरीक्षण का आँकड़ा जेजेएम पोर्टल पर भी उपलब्ध नहीं था। ऐसा देखा गया कि 2021-23 के दौरान, नमूना जांचित किसी भी ज़िले (हजारीबाग ज़िले में एक श्रोत को छोड़कर) में 27,872 पानी के श्रोत पर स्वच्छता निरीक्षण नहीं किया गया। 2023-24 के दौरान, 66 प्रतिशत श्रोत (27,872 में से 18,524) का स्वच्छता निरीक्षण किया गया था।

नमूना जांचित खूंटी प्रमंडल ने (मई 2024) पीएमयू को बताया कि 10 मई 2024 और 28 मई 2024 के बीच 1,179 श्रोत का स्वच्छता निरीक्षण किया गया था। लेकिन, स्वच्छता निरीक्षण का प्रतिवेदन न तो प्रमंडल ने और न ही जिला समन्वयक,

[92] पंचायत: बामराजा, ब्लॉक: कर्रा और जिला: खूंटी।

एमआईएस ने लेखापरीक्षा को दी, जो जेजेएम पोर्टल में आँकड़ा प्रविष्टि के लिए ज़िम्मेदार थे।

इसलिए, माइक्रोबायोलॉजिकल दूषितकरण के संभावित स्रोत का पता लगाने के लिए सभी पानी के स्रोत का स्वच्छता निरीक्षण नहीं किया गया।

जवाब में, विभाग ने बताया (जुलाई 2025) कि सभी ज़िलों में स्वच्छता निरीक्षण किए गए थे और आँकड़ा ज़िला प्रयोगशाला में रखा जाता है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जेजेएम पोर्टल ने 2021-23 के दौरान नमूना जांचित ज़िलों में कोई स्वच्छता निरीक्षण नहीं दिखाया और न ही नमूना जांचित ज़िला प्रयोगशालाओं ने लेखापरीक्षा को कोई आँकड़ा दिया।

2.6 निगरानी और मूल्यांकन

2.6.1 एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली

जेजेएम दिशानिर्देश में नियोजना, स्वीकृति, वित्तीय प्रबंधन, भौतिक प्रगति, पानी की गुणवत्ता और सहायक गतिविधियों जैसी चीजों को निरीक्षण करने के लिए एक एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) बनाने का प्रावधान है। भारत सरकार ने एक समर्पित जेजेएम पोर्टल (जेजेएम डैशबोर्ड) बनाया था, जिस पर डीडब्ल्यूएस प्रमंडल द्वारा आँकड़ा/जानकारी अपलोड की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- जेजेएम को लागू करने में डीडब्ल्यूएसएम की मदद के लिए, हर जिले में एक परियोजना प्रबंधक और पांच जिला समन्वयक (आईएसए, आईईसी, क्षमता निर्माण, एमआईएस और जल गुणवत्ता) को लगाया जाना था, जो जिले के आकार और काम की मात्रा पर आधारित होंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऊपर बताई गई ज़रूरत के विरुद्ध, पीएमयू ने (अप्रैल 2022) हर प्रमंडल में जिला समन्वयक (आईईसी और एमआईएस) के सिर्फ़ दो पद और जिला समन्वयक का एक पद मंज़ूर किया। नौ प्रमंडल वाले छः नमूना जांचित ज़िलों में, तय 30 जिला समन्वयक और छः परियोजना प्रबंधक के विरुद्ध सिर्फ़ 18 जिला समन्वयक (आईईसी और आईईसी) अभिनियोजित किए गए थे। ये समन्वयक और परियोजना प्रबंधक डीडब्ल्यूएसएम को जुड़ी गतिविधियाँ आयोजन करने और जेजेएम पोर्टल में आँकड़ा/जानकारी प्रविष्टि में मदद करने के लिए ज़िम्मेदार थे। लेकिन, इन जिला समन्वयक ने जेजेएम पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड किए जा रहे आँकड़ा/जानकारी का सही अभिलेख नहीं रखा था। नमूना जांचित छः जिलों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, सितंबर 2024 तक 6,26,793 एफएचटीसी दिए गए थे, जबकि जेजेएम पोर्टल के अनुसार यह संख्या 8,30,995 थी। इस तरह, जेजेएम पोर्टल

पर 2,04,202 एफएचटीसी की अतिरिक्त-रिपोर्टिंग हुई, जो प्रमंडल की प्रगति प्रतिवेदन से समर्थित नहीं थी।

जवाब में, विभाग ने बताया (जुलाई 2025) कि सभी प्रमंडल को जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे आँकड़ों का अभिलेख रखने का निर्देश दिया गया था।

अनुशंसा 7: विभाग जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किए गए आकड़ों के समर्थन में सही अभिलेख का रखरखाव सुनिश्चित करे।

2.6.2 *झार जल आईएमआईएस*

जेजेएम दिशानिर्देश में सेंसर आधारित इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी) के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। इसके लिए मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करके बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के वास्तविक समय का आँकड़ा लिया जाएगा। इस आँकड़ा का इस्तेमाल जेजेएम को लागू करने में विश्लेषण और फैसले लेने के लिए किया जाएगा। दिशानिर्देश में पानी के बहाव, पानी की गुणवत्ता, प्रवाह दर वगैरह को निरीक्षण करने के लिए एमवीएस में सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्सेस[93] (स्काडा) प्रणाली लगाने का भी सुझाव दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में निर्मित संरचनाओं और अलग-अलग क्षेत्र गतिविधियों जैसे संरचनाओं का काम, पानी की आपूर्ति, शिकायत का निपटारा, आईइसी गतिविधियाँ, संरचनाओं की जांच वगैरह की अच्छे से निगरानी के लिए झार जल पोर्टल से संबद्ध एक ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और मॉनिटरिंग प्रणाली था। सोलर-बेस्ड एसवीएस में लगे सेंसर बेस्ड रिमोट मैनेजमेंट प्रणाली (आर.एम.एस.) को भी झार जल पोर्टल से जोड़ा गया था। झार जल पोर्टल के आंकड़ों के विश्लेषण से ये बातें पता चलीं:

- किसी खास एसवीएस के कार्यशीलता को निरीक्षण करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पोर्टल पर सिर्फ़ आरएमएस की उपकरण आईडी ही मैप की गई थी, जिसमें योजनाओं की विवरण नहीं दिख रही थीं, जैसे स्कीम आईडी और उस जगह, गाँव और पंचायत का नाम जहाँ एसवीएस स्थापित किए गए थे। उपकरण आईडी पर क्लिक करने के बाद ही योजना की विस्तृत विवरणी देखी जा सकती थीं। इसलिए, आरएमएस के ज़रिए किसी खास योजना का निरीक्षण करना मुश्किल था।

- नमूना जांचित नौ प्रमंडल में से पांच[94] में 7,544 एसवीएस में आरएमएस स्थापित किया गया था। लेकिन झार जल पोर्टल पर सिर्फ़ 6,659 एसवीएस का आँकड़ा ही

---

[93] स्काडा पानी और अपशिष्ट जल की सटीक और कुशल निगरानी के लिए एक नियंत्रण प्रणाली है, जो ऑपरेटरों को परिचालन डेटा और उत्पादन जानकारी तक तत्काल पहुंच प्रदान करती है। इन डेटा का उपयोग करके, सिस्टम ऑपरेटर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय में परिचालन समस्याओं का पता लगाते हैं।

[94] चाईबासा, धनबाद II, हजारीबाग, खूंटी और झुमरीतिलैया (कोडरमा)।

उपलब्ध था क्योंकि सभी प्रणाली पोर्टल से लिंक नहीं थे। इसके अलावा, संचार नेटवर्क में दिक्कतों की वजह से आरएमएस उपकरण से पूरा आँकड़ा भी नहीं मिल सका।

- खूंटी जिले के नमूना जांचित कांटी एमवीएस में स्काडा प्रणाली लगाने का प्रावधान था। यह योजना अप्रैल 2022 से चालू थी। लेकिन, स्काडा का आंकड़ा लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया और न ही प्रणाली झार जल पोर्टल से जुड़ा हुआ पाया गया। इसलिए लेखापरीक्षा योजना के लिए स्काडा प्रणाली लगे होने या काम करने के बारे में आश्वस्त नहीं हो सका।

- 12 दिसंबर 2024 तक, नमूना जांचित प्रमंडल को झार जल पोर्टल पर कुल 4,483 शिकायतें (**परिशिष्ट 2.7**) मिलीं (मार्च 2022[95] से), जो मुख्य रूप से खराब हैंड पंप/एसवीएस/मोटर, पानी की टंकियों/ वितरण पाईपलाइन से लीकेज और पानी की आपूर्ति न होने से जुड़ी थीं। इनमें से, 4,084 शिकायतों को प्रमंडल ने हल/समाधान दर्ज किया था। हालांकि, लेखापरीक्षा शिकायतों को हल करने में लगने वाले समय का पता नहीं लगा सका, क्योंकि शिकायतों के हल/बंद होने की तारीख डेटाबेस में दर्ज नहीं की गई थी। बाकी 399 शिकायतों में से, 185 शिकायतें कनीय अभियंता (जेई) के स्तर पर लंबित थीं, 83 शिकायतें हटा दी गईं क्योंकि वे पुराने और खराब प्रणाली से जुड़ी थीं जिन्हें बदलने/खास मरम्मत वगैरह की ज़रूरत थी, 38 शिकायतें संबंधित एई/जेई को भेज दी गईं, जबकि बाकी 93 शिकायतों के बारे में पोर्टल पर कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। पोर्टल में शिकायतों के समाधान न होने के कारण दर्ज नहीं पाए गए।

- नमूना जांचित प्रमंडल को लिखित शिकायतें भी मिलीं, जिन्हें संबंधित अधिकारियों को भेजा गया और समाधान के लिए संचिका पर प्रस्तुत किया गया। इन शिकायतों को न तो झार जल पोर्टल पर अपलोड किया गया था और न ही उनके समाधान की निगरानी के लिए प्रमंडल में संकलन किया गया था।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि वीडब्ल्यूएससी की जल सहिया, जो झार जल पोर्टल पर आँकड़ा प्रविष्टि के लिए ज़िम्मेदार थीं, उन्हें ज़रूरी मोबाइल फ़ोन (इंटरनेट सुविधा के साथ) नहीं दिए गए थे और उनके पास पोर्टल पर आँकड़ा अपलोड करने के लिए ज़रूरी तकनीकी जानकारी भी नहीं थी।

इस वजह से, शिकायतों और उनके समाधान से जुड़े पूरे आंकड़े/जानकारी झार जल पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रही थी।

जवाब में, विभाग ने बताया (जुलाई 2025) कि झार जल पोर्टल पर योजना की विवरणी की मैपिंग पक्का करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जल सहियाओं को स्मार्टफ़ोन दिए गए हैं और झार जल मोबाइल ऐप पर आंकड़े अपलोड करने की प्रशिक्षण चल रही

[95] झार जल पोर्टल पर आँकड़ा 16 मार्च 2022 से उपलब्ध है।

है। झार जल पोर्टल पर सही आँकड़ा दिखाने के लिए सोलर एजेंसियों और आईटी दल के साथ नियमित बैठक भी की गईं। शिकायत के निपटान के बारे में, यह कहा गया कि शिकायतों का सत्यापन और उनके सुलझाने की स्थिति अपलोड करना भविष्य में सुनिश्चित किया जाएगा।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पांच नमूना जांचित प्रमंडल में 55 शिकायतों के नमूना जांच (अगस्त 2025) से पता चला कि शिकायतें फरवरी 2024 और जुलाई 2025 के बीच दर्ज की गई थीं। इनमें से 49 शिकायतों का समाधान मई 2024 और अगस्त 2025 के बीच किया गया था। हालांकि, 49 शिकायतों में से 20 के समाधान में एक महीने से ज़्यादा और 69 दिन तक का समय लगा। छः में से पांच शिकायतें मई और जून 2025 से लंबित थीं जिनका निराकरण नहीं किया गया था।

अनुशंसा 8: विभाग अलग-अलग एसवीए के निरीक्षण के लिए झार जल पोर्टल पर योजना के विवरण की मैपिंग सुनिश्चित करे।

2.7 निष्कर्ष

दिसंबर 2024 तक, 97,535 योजनाओं में से केवल 27,249 (28 प्रतिशत) ही पूरी हो सकी थीं। इससे एफएचटीसी के माध्यम से परिवारों को आच्छादित करने की योजना प्रभावित हुई क्योंकि मार्च 2025 तक 34.31 लाख (55 प्रतिशत) परिवारों को एफएचटीसी प्रदान किया गया था और 29,398 गाँवों में से 6,958 (24 प्रतिशत) में कोई भी एफएचटीसी नहीं था। नमूना जाँचित 40 एकल ग्राम योजना (एसवीएस) में से 20 में जल-प्रवाह प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की निर्धारित न्यूनतम मात्रा का केवल 37 प्रतिशत था। लाभार्थी सर्वेक्षण से पता चला है कि 19 से 40 प्रतिशत लाभार्थी जेजेएम के अंतर्गत उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवा से संतुष्ट नहीं थे।

योजना के उद्देश्य हेतु सभी राजस्व ग्राम को जेजेएम पोर्टल में शामिल नहीं किया गया था। ग्राम कार्य योजनाएं (वीएपी) जिसमें गाँव में जल आपूर्ति का इतिहास और उपलब्धता, जल के उपलब्ध स्रोतों का मानचित्रण और ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं/ जरूरतों जैसे महत्वपूर्ण विवरणों का अभाव था, ग्राम समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित किए बिना तैयार की गई थीं।

एक ही संवेदक जिनके पास पर्याप्त बोली क्षमता और संसाधन (जनशक्ति और उपकरण) नहीं थे, को कई निविदाएं प्रदान की गईं और मिलीभगत से बोली लगाने या बोली रोटेशन से इनकार नहीं किया जा सकता था। संवेदकों को ₹27.13 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता भी दी गई। वित्तीय वर्ष 2019-22 के दौरान तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआई) द्वारा कार्यों के अनिवार्य निरीक्षण और प्रमाणन को सुनिश्चित किए बिना ही कार्यों पर ₹1,578.25 करोड़ व्यय किए गए। जल आपूर्ति परियोजनाओं

के परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम्) को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार उपयोगकर्ता शुल्क भी एकत्र नहीं किया जा रहा था।

परीक्षण की गई जिला प्रयोगशालाओं के पास जेजेएम के तहत आवश्यक 13 बुनियादी जल गुणवत्ता मापदंडों के परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यता नहीं थी। उनके पास अनुशंसित 35 प्रकार के उपकरणों के विरुद्ध केवल आठ (23 प्रतिशत) से 16 (46 प्रतिशत) प्रकार के उपकरण थे तथा रसायनों की उपलब्धता की कमी के कारण वे उनके पास सुविधाएं होने के बाद भी कोई भी परीक्षण नहीं कर सके।

जेजेएम पोर्टल में आंकड़ा प्रविष्टि के लिए जिम्मेदार जिला समन्वयकों ने अपलोड किए गए आंकड़ों के समर्थन में उचित अभिलेख नहीं रखा। रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) की केवल उपकरण संख्या को एसवीएस के साथ जोड़ा गया था, योजना के विवरण जैसे- योजना संख्या और आवास/गाँव या पंचायत के नाम को मानचित्रीकरण किए बिना ही राज्य की ऑनलाइन सूचना और निगरानी प्रणाली (झार जल पोर्टल) के साथ जोड़ दिया गया था और इस तरह किसी विशेष एसवीएस की कार्यक्षमता की निगरानी करना मुश्किल था।

(इन्दु अग्रवाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
झारखण्ड

राँची
दिनांक: 20 मई 2026

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 29 मई 2026